राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 152

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 10 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर फैसला सुनाया है, जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। कुछ लोगों की इच्छा थी कि रोजाना सुनवाई हो, वैसा हुआ। आज फैसला आया है। दशकों चली न्याय प्रक्रिया का समापन हुआ है। अब हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है।

–**नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री

॥ श्रीराम ॥

इलस्ट्रेशन अवधेश

40
दिन तक सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई

1045
पन्नों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

38
मिनट में सुनाया गया निर्णय

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या में भगवान श्रीराम के जन्मस्थान पर ही भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इतिहास की एक भूल को सुधारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह सर्वसम्मति से फैसला दिया और विवादित ढांचा तोड़े जाने के कारण मस्जिद निर्माण के लिए अलग से पांच एकड़ भूमि के आवंटन का निर्देश दिया है वह अभूतपूर्व कहा जा सकता है। दरअसल न्यायिक इतिहास में भी यह ऐतिहासिक घटना है जो देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों को एकजुटता के सूत्र में बांधेगी। और उससे भी बढ़कर जिस तरह हर संप्रदाय के लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया है उससे आपसी समझ और सम्मान की गांठ मजबूत होगी। दिल से इस फैसले को स्वीकार करने पर राम राज्य वापस आ जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन इसकी शुरुआत जरूर हो सकती है। देश ने इस बार शांति और सद्भाव के साथ इसकी जबरदस्त झलक दिखाई है।

9 का कनेक्शन राम मंदिर मामले से

- 9 नवंबर 1989 को मंदिर के लिए शिलान्यास।
- 9 मई 2011 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
- 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला।

5 फैसले के बड़े मतलब

हिंदुओं के लिए

मंदिर निर्माण का रास्ता खुलने के बाद देश के हिंदू समुदाय की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई। अयोध्या और राममंदिर का उनके लिए विशेष महत्व है।

मुस्लिम समाज के लिए

एक अहम मामले का सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर समाधान हुआ और जिस तरह पांच जजों की संविधान पीठ ने मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की बात कही उससे यह नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम समाज के हाथ खाली रहे।

सरकार के लिए

दो सबसे बड़े समुदायों से संबंधित इस धार्मिक मामले का अदालती फैसला आ जाने के कारण सरकार के स्तर पर कोई कदम उठाए जाने की सूरत खत्म हो गई। अब उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित करना है।

देश के लिए

अगर इतना संवेदनशील मामला अदालत के स्तर पर सार्थक और निर्णायक तरीके से निपट सकता है तो यह एक देश के रूप में भारत के लिए गौरव बढ़ाने वाली बात है। इस मामले की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि भावी सीजेआइ ने इसे दुनिया के सबसे बड़े मामलों में से एक बताया था।

राजनीति के लिए

भारत में राजनीति की आलोचना करने वाले अक्सर ध्रुवीकरण के मामलों को गिनाने लगते हैं। अयोध्या मामला तो इस सियासत की धुरी रहा है। इतने बड़े विवाद का शांतिपूर्ण समाधान वोट बैंक की सियासत पर कुछ अंकुश लगाने का काम कर सकता है।

- न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
- राम जन्मभूमि का अंदर और बाहरी अहाता यानी पूरी जमीन मंदिर बनाने के लिए दी
- केंद्र सरकार तीन महीने के भीतर न्यास या बोर्ड का गठन करेगी
- राम जन्मस्थान का बाहर और अंदर का अहाता गठित ट्रस्ट या बोर्ड को सौंपा जाएगा
- ट्रस्ट या बोर्ड को मंदिर निर्माण से लेकर बाकी सभी अधिकार होंगे
- गोपाल विशारद को निधन के 33 साल बाद मिला पूजा का हक

सबसे बड़ा फैसला

- गैरकानूनी ढंग से मुसलमानों की मस्जिद तोड़े जाने पर उन्हें पुनर्वासित करने के लिए कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन वैकल्पिक जगह पर आवंटित करे
- सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित जमीन पर मस्जिद बनाने की छूट होगी
- मुसलमानों को पांच एकड़ जमीन या तो केंद्र सरकार अधिगृहीत जमीन में से देगी या फिर राज्य सरकार अयोध्या में किसी उचित और प्रमुख जगह पर जमीन देगी
- 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश गैरकानूनी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन के बंटवारे से न तो पक्षकारों के हित उद्देश्य पूरे होते हैं और न ही ये स्थायी शांति और सद्भाव को पूरा करते हैं
- निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया गया लेकिन केंद्र सरकार मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में अखाड़े को उचित प्रतिनिधित्व दे
- राम जन्मभूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज थी

आस्था...श्रद्धा...सद्भाव...संयम

मालिकाना हक सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता है। 1856-57 तक विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने के सुबूत नहीं हैं। हर मजहब के लोगों को संविधान में बराबर सम्मान दिया गया है।

–**रंजन गोगोई**, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने देश की जनभावना, आस्था और श्रद्धा को न्याय दिया है। इस निर्णय को जय-पराजय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। अतीत की बातों को भुलाकर सभी को भव्य राममंदिर का निर्माण करना है।

–**मोहन भागवत**, संघ प्रमुख

यह फैसला भारत की जीत है। यह हमारी न्यायपालिका के लिए ऐतिहासिक क्षण है। हम फैसले का सम्मान करते हैं। अब हम फिर से शांति, सौहार्द और समझदारी का संकल्प लें। शाश्वत मूल्यों और सांस्कृतिक विरासतों के बल पर अब देश आगे बढ़ेगा।

–**रविशंकर प्रसाद**, केंद्रीय कानून मंत्री

मैं तहे दिल से उच्चतम न्यायालय का स्वागत करता हूं। लंबे समय से चल रहा मामला आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है। इससे दोनों समुदायों के सदस्यों को खुशी और लंबे समय से चल रहे विवाद से राहत मिली है।

–**श्रीश्री रविशंकर**, आर्ट ऑफ लिविंग

याचिकाकर्ता के तौर पर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हालांकि कोर्ट के इस फैसले में कई विरोधाभास नजर आ रहे हैं इसलिए हम फैसले से संतुष्ट नहीं है। हम फैसले का मूल्यांकन करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे।

–**जफरयाब जिलानी**, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव

सभी से आग्रह है कि इस निर्णय को हार-जीत की दृष्टि से न देखें और देश में अमन व भाईचारे के वातावरण को बनाए रखें। ये निर्णय हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है। संविधान से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जमीयत ने आखिरी हद तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी।

–**मौलाना सैयद अरशद मदनी**, अध्यक्ष, जमीयत उलेमा-ए-हिंद

कोर्ट ने फैसला रामलला के हक में दिया है। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। संत समाज आह्लादित है। निर्मोही अखाड़े का जो दावा खारिज हुआ है उस पर पंचों के बीच चर्चा की जाएगी। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने पर समस्त देशवासियों को बधाई। शांति बनाए रखें।

–**महंत दिनेंद्रदास**, निर्मोही अखाड़ा

हम विनम्रतापूर्वक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि मुसलमानों ने इस फैसले को स्वीकार किया और विवाद अब समाप्त हो गया है। मुझे लगता है कि मामला अब खत्म होना चाहिए।

–**कल्बे जव्वाद**, शिया धर्मगुरु

फैसले की विस्तृत कवरेज अंदर के पन्नों पर

सर्वसम्मत फैसला 1

(सर्वोच्च न्यायलय में अहम सुबूत बनी एएसआइ की रिपोर्ट)

सुप्रीम कोर्ट ने उत्खनन के तथ्यों का संज्ञान लिया। पांच जजों की बेंच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में यह रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई। अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में भी एएसआइ की रिपोर्ट का ही अहम योगदान रहा था। इसे ही मामले में वैज्ञानिक साक्ष्य माना गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपोर्ट को स्वीकार किया। ● पेज 2

सर्वसम्मत फैसला 2

(देश में नया युग शुरू, फैसले से देश जीता, नहीं हुई किसी की हार)

सुप्रीम कोर्ट में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक चले सबसे बड़े फैसले के गहरे निहितार्थ हैं। इसने एक अहम विवाद पर यह साबित किया कि देश बड़े से बड़े मामले में भी एकजुट रहता है। इसमें सरकार की भूमिका भी रही जो उसने फैसले से पहले पूरी तैयारी की और जनता ने भी इसमें पूरा साथ दिया। पक्ष हो या विपक्ष हर तरफ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुले दिल से स्वागत किया। इसकी वजह से देश और दुनिया में भी भारत का मान काफी बढ़ा है। ● पेज 3

फैसला और राजनीति

(अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती भाजपा)

भारतीय राजनीति में इस समय नरेंद्र मोदी का बोलबाला है और उनके नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी है। भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार के समय में ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना और उसके बाद कोर्ट द्वारा राम मंदिर पर फैसला देना कहीं ना कहीं इस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। भले ही सभी राजनीतिक दल इस पर अभी संयमित रुख अपना रहे हों लेकिन इसमें कई शक नहीं कि भाजपा की अगुआई में ही राम मंदिर मामले ने बड़े राजनीतिक मुद्दे का रूप लिया। ● पेज 4

अयोध्या लाइव

(मर्यादा का पाठ पढ़ाती अयोध्या)

अयोध्या ने पिछले 70 सालों में काफी कुछ देखा है लेकिन अयोध्या ने बेहद संयम का परिचय दिया जो काबिल-ए-तारीफ है। ● पेज 5

अयोध्या के नायक

(तिकड़ी जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा)

जब कोई अप्रतिम कार्य को अंजाम देता है तो तमाम कालखंड के लिए उसे नायक की पदवी मिल जाती है। अशोक सिंहल, परमहंस और अवेद्यनाथ ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा जो अब साकार होने जा रहा है। ● पेज 6

सुप्रीम फैसला

आरएसएस ने महज 35 साल में आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाया

विहिप और आरएसएस जैसे संगठनों ने देश ही नही विदेश में भी व्यापक जनसमर्थन जुटाया और आंदोलन को धार दी। एक तरह से कहा जा सकता है कि इन दोनों संगठनों ने इसे देश का मुद्दा बना दिया। ● पेज 7

विशेष

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तृत कवरेज के लिए आज साप्ताहिक मुद्दा और सप्तरंग पेज प्रकाशित नहीं किए जा रहे हैं।

संपादकीय

नया इतिहास लिखने वाला फैसला : संजय गुप्त

अयोध्या से आगे की राह : एस शंकर

अग्रलेख : सर्वोच्च निर्णय ● पेज 8

संपादकीय सम्मुख-ओपेड

जानिए किस तरह अयोध्या आंदोलन के दौरान पग पग साथ रहा दैनिक जागरण

भारतीय चेतना को भी न्याय दीजिए : नरेन्द्र मोहन

गलत बातें मत कीजिए

न्यायपालिका और राम मंदिर साक्षी और सहयात्री ● पेज 9

श्रीराम

9 नवंबर को ही हुआ था मंदिर का शिलान्यास

यह एक संयोग है कि राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास का पहला चरण 9 नवंबर, 1989 को संपन्न हुआ था और नींव खोदने का कार्यक्रम भी हुआ था। यह भी एक संयोग है कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करने वाली बर्लिन की दीवार 9 नवंबर, 1989 को ही गिराई गई थी।

'2022 तक बन जाएगा भव्य राम मंदिर'

राम मंदिर के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा ने कहा, सवा लाख घन फीट पत्थरों को तराशने का काम पूरा

शत्रुघ्न शर्मा • अहमदाबाद

'अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नागर शैली में राजस्थान के पत्थरों से अब भव्य राममंदिर का निर्माण होगा। सवा लाख घन फीट पत्थरों को तराशने का काम पूरा हो चुका है और इतने ही पत्थरों की और जरूरत होगी। 2022 तक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।' यह कहना है राम मंदिर के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा का।

सोमनाथ से अयोध्या तक निकली रथयात्रा से पहले ही विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के अगुआ अशोक सिंहल ने चंद्रकांत को दिल्ली बुलाकर राम मंदिर के निर्माण की योजना शुरू करने का काम सौंपा था। सोमपुरा बताते हैं कि राजस्थान के भरतपुर के बंसी डूंगरपुर के गुलाबी पत्थरों से ही राम मंदिर बनेगा। इसमें करीब ढाई लाख घन फीट पत्थर लगेगा। बीते तीन दशक से अयोध्या, राजस्थान सहित कई जगहों पर राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम चल रहा है। सवा लाख घन फीट पत्थरों को तराशने का काम पूरा हो चुका है। मंदिर की डिजाइन के अनुसार सवा लाख घन फुट पत्थरों की और जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर निर्माण के पक्ष में आया है, इसलिए चंद्रकांत का मानना है कि निर्माण ढाई से तीन साल में पूरा हो सकता है।

चंद्रकांत सोमपुरा
आर्किटेक्ट

मंदिर में होंगे 251 स्तंभ: चंद्रकांत सोमपुरा के पुत्र आशीष सोमपुरा बताते हैं कि विष्णु के अवतार भगवान राम का मंदिर विष्णु के पसंदीदा अष्टकोणीय आकार में बनेगा। नागर शैली में भरतपुर के गुलाबी ढाई लाख घन फीट पत्थरों से दो मंजिला मंदिर बनेगा। इसमें करीब 251 स्तंभ होंगे जिन पर विविध आकृतियां उकेरी गई होंगी। 240 फीट लंबे, 145 फीट चौड़े और 141 फीट ऊंचे राम मंदिर के पहले तल में बालस्वरूप में करीब छह फीट की ऊंचाई के रामलला विराजमान होंगे। दूसरे तल में राम दरबार होगा, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमाएं होंगी। मंदिर पूर्वाभिमुख होगा, लेकिन इसमें प्रवेश के लिए चारों ओर से द्वार होंगे। मंदिर का गर्भगृह रघुपुरम अलग होगा तथा कथा कुंज का निर्माण भी अलग से किया जाएगा।

कौन हैं राम मंदिर के शिल्पकार : 76 साल के चंद्रकांत सोमपुरा मूलरूप से गुजरात के पालीताणा से हैं। उनका परिवार कई पीढ़ियों से मंदिर निर्माण का काम करता आ रहा है। चंद्रकांत स्वयं अब तक हिंदू, जैन और स्वामी नारायण संप्रदाय के 100 से अधिक मंदिर का निर्माण कर चुके हैं। इनमें गांधीनगर का स्वामी नारायण मंदिर, पालनपुर अंबा माता मंदिर और कई बिड़ला मंदिर प्रमुख हैं।

डेढ़ करोड़ में बना था सोमनाथ मंदिर

राम मंदिर के शिल्पी चंद्रकांत के पिता प्रभाशंकर भाई सोमपुरा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के शिल्पकार थे। गुजरात के प्रभास पाटण और अब गिर सोमनाथ में इसका निर्माण करीब डेढ़ करोड़ में हो गया था। 1947 से 1952 के दौरान इसे बनाया गया था। सोमनाथ ट्रस्ट इसका मुख्य कर्ताधर्ता है। दिल्ली और मुंबई के राम मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्मस्थान तथा गोरखपुर के राधा कृष्ण साधना केंद्र, नागदा मध्य प्रदेश के विष्णु मंदिर का निर्माण भी सोमपुरा परिवार ने ही किया है। सोमपुरा ने अब तक सबसे महंगा मंदिर पालनपुर में अंबामाता का बनवाया, जिसमें दस करोड़ रुपये की लागत आई थी। हालांकि राम मंदिर अब तक के सभी मंदिरों से भव्य, दिव्य और लागत में भी सबसे अधिक होगा।

टेंट में विराजमान रामलला की वर्तमान तस्वीर, लेकिन जल्द ही यह सूरत बदलेगी।

240 फीट लंबाई

145 फीट चौड़ाई

141 फीट ऊंचाई

251 कुल स्तंभ होंगे मंदिर में

16 फीट छह इंच पहली मंजिल पर स्तंभों की ऊंचाई

106 प्रथम व द्वितीय मंजिल में स्तंभ

14 फीट छह इंच दूसरी मंजिल पर स्तंभों की ऊंचाई

29 वर्षों से राजस्थान, गुजरात, उप्र व देश के अन्य हिस्सों से आए कारीगर कार्यशाला में करीब सवा लाख घन फीट पत्थरों की तराशी पूरी कर चुके हैं।

पांच प्रखंड

• अग्रभाग • सिंहद्वार • नृत्यमंडप • रंगमंडप • गर्भगृह

यक्ष-यक्षिणी

16 मूर्तियां प्रत्येक स्तंभ पर

4 फीट प्रत्येक स्तंभ की परिधि

गर्भगृह

16 फीट तीन इंच का प्रकोष्ठ ठीक ऊपर

65 फीट तीन इंच ऊंचा शिखर

दो से ढाई वर्ष में बनेगा

- निर्धारित स्थल पर प्रथम तल के तराशे गए पत्थरों को शिफ्ट करने में अधिक से अधिक छह माह का समय लगेगा। इसके बाद दो से ढाई वर्ष में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।
- राम जन्मभूमि के पार्श्व में प्रवाहित मां सरयू, आग्नेय कोण पर हनुमानजी, अयोध्यावासी जल्द अपने रामलला को भवन में विराजमान होते देखेंगे।

आठ फीट ऊंची पीठिका

- मंदिर की प्रथम पीठिका (चबूतरा) आठ फीट ऊंची होगी। इन तक प्रशस्त सीढ़ियों से पहुंचा जा सकेगा।
- इसी पीठिका पर मंदिर का 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा। चार फीट नौ इंच ऊंची एक आधार पीठिका पर मंदिर का निर्माण होना है।

और भी बहुत कुछ

अधिगृहीत 67 एकड़ के परिसर में रामकथा कुंज, कला मंडप, वेद पाठशाला, संत निवास, यात्री निवास के निर्माण की भी योजना है।

कार्यशाला की आधारशिला

रामचंद्र परमहंस के साथ अशोक सिंहल, आचार्य गिरिराज किशोर, महंत नृत्यगोपाल दास ने कार्यशाला की आधारशिला रखी।

1989 में बना था मॉडल

- प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल सबसे पहले 1989 में प्रयागराज कुंभ में रखा गया था। इसे चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया।
- 1990 में श्रीराम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला बनी तब मंदिर के मॉडल को भी वहां स्थापित किया गया। इसी की एक बड़ी प्रतिकृति बाद में जयपुर के विजय डूडी ने बनाई जो कारसेवकपुरम में प्रदर्शित है।

1990 में बनी कार्यशाला

विहिप की रामघाट स्थित राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला की स्थापना वर्ष 1990 के सितंबर माह में की गई।

कार्यशाला के लिए मंदिर आंदोलन के शलाका पुरुष परमहंस रामचंद्रदास ने जमीन दान दी थी।

कार्यशाला में ही प्रस्तावित मंदिर के मॉडल के साथ पूजित शिलाएं व तराशी गई शिलाएं भी रखी हैं।

राम जन्मभूमि कहां क्या

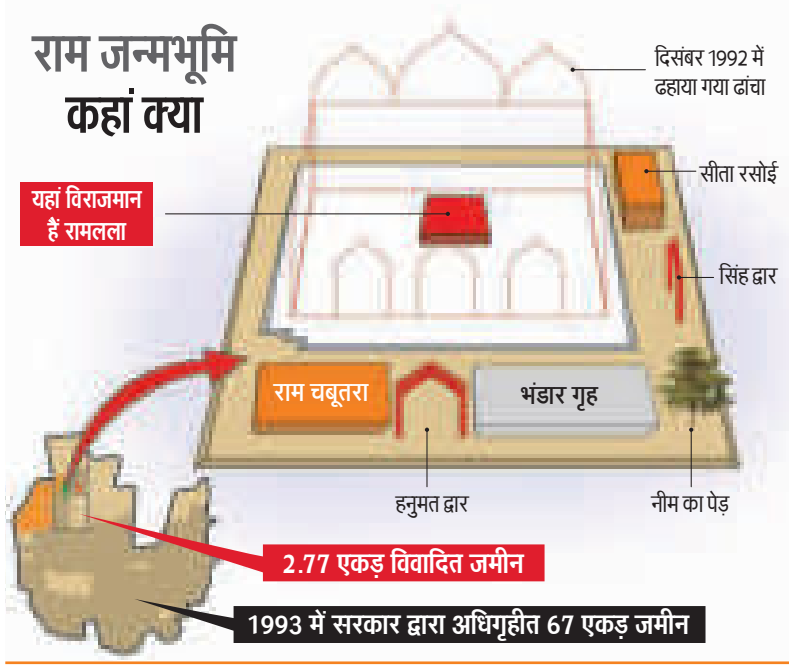

अतीत गाथा : अयोध्या में विवाद की पांच सदियां

समय साक्षी है। आस्था के मसले आसानी से हल नहीं होते और तब तो और भी नहीं जब मामला दो समुदायों को आमने-सामने ला देने का हो। अयोध्या विवाद एक ऐसा ही प्रसंग है, जो करीब पांच सौ सालों के बाद अब अंजाम तक पहुंच सका है...

21 मार्च 1528
बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोप से ध्वस्त कराया था

18वीं
शताब्दी के मध्य तक मुगल सत्ता का तो पतन हो गया पर मंदिर के लिए संघर्ष जारी रहा

76
युद्ध लड़े गए राम मंदिर की वापसी के लिए, स्थाई रूप से वापस पाने में रहे असफल

30
बार युद्ध हुए राम मंदिर के लिए 1658 से 1707 ई. के मध्य औरंगजेब के शासनकाल में। बाबा वैष्णवदास, कुं. गोपाल सिंह आदि ने नेतृत्व किया।

आज उस अयोध्या की कल्पना की जा सकती है, जिसने 491 वर्षों से एक लंबा विवाद झेला। यह सामान्य विवाद नहीं था बल्कि दो समुदायों की आस्था को लेकर टकराव का कारण था। बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बने राम मंदिर को 21 मार्च 1528 को तोप से ध्वस्त कराया था। वैसे तो यह मसला काफी पहले हल हो जाना चाहिए था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि बात बिगड़ती ही गई। प्रयास अनेक किए गए, लेकिन कोई भी पक्ष पूरे से कम पर राजी नहीं हुआ।

यह कहानी है भारतीय जनमानस में आस्था के केंद्र श्रीराम की जन्मभूमि की। भगवान राम के स्वधाम गमन के बाद सरयू में आई भीषण बाढ़ से अयोध्या की भव्य विरासत को काफी क्षति पहुंची थी। भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या की विरासत नए सिरे से सहेजने का प्रयास किया और राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। युगों के सफर में यह मंदिर और अयोध्या जीर्ण-शीर्ण हुई, तो विक्रमादित्य नाम के शासक ने इसका उद्धार किया। मीर बाकी ने 1528 में जिस मंदिर को तोड़ा था, उसे 57 ई.पू. में युग प्रवर्तक राजाधिराज की उपाधि ग्रहण करने वाले विक्रमादित्य ने ही निर्मित कराया था।

डेढ़ सहस्राब्दि से भी अधिक के सफर में यह मंदिर हिंदुओं की आस्था-अस्मिता का शीर्षस्थ केंद्र रहा। इस पर मध्य काल की शुरुआत से ही संकट मंडराने लगा। महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार तुर्क ने सत्ता के विस्तार में अयोध्या के क्षेत्र को भी शामिल करने का प्रयास किया। हालांकि 1033 ई. में राजा सुहेलदेव ने बहराइच में उसे मार कर इस आतंक से मुक्ति दिलाई। 1440 ई. में जौनपुर के शर्की शासक महमूद शाह के शासन क्षेत्र में अयोध्या के भी शामिल होने का उल्लेख मिलता है। इसके बावजूद अयोध्या के अनुरागियों की रगों में राम मंदिर ध्वंस के प्रतिकार की ताकत बची थी।

पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त इतिहास के अनुसार राम मंदिर की वापसी के लिए 76 युद्ध लड़े गए। एकाध बार ऐसा भी हुआ, जब विवादित स्थल पर मंदिर के दावेदार राजाओं-लड़ाकों ने कुछ समय के लिए उसे हासिल भी किया पर यह स्थाई नहीं रह सका। जिस वर्ष मंदिर तोड़ा गया, उसी वर्ष पास की भीटी रियासत के राजा महताब सिंह, हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह, रानी जयराज कुंवरि, राजगुरु पं. देवीदीन पांडेय आदि के नेतृत्व में मंदिर की मुक्ति के लिए जवाबी सैन्य अभियान छेड़ा गया। शाही सेना को उन्होंने विचलित जरूर किया पर पार नहीं पा सके। 1530 से 1556 ई. के मध्य हुमायूं एवं शेरशाह के शासनकाल में 10 युद्धों का उल्लेख मिलता है। हिंदुओं की ओर से इन युद्धों का नेतृत्व हंसवर की रानी जयराज कुंवरि एवं स्वामी महेशानंद ने किया। रानी स्त्री सेना का और महेशानंद साधु सेना का नेतृत्व करते थे। इन युद्धों की प्रबलता का अंदाजा रानी और महेशानंद के साथ उनके सैनिकों की शहादत से लगाया जा सकता है। 1556 से 1605 ई. के बीच अकबर के शासनकाल में 20 युद्धों का जिक्र मिलता है। इन युद्धों में अयोध्या के ही संत बलरामाचार्य बराबर सेनापति के रूप में लड़ते रहे और अंत में वीरगति प्राप्त की। इन युद्धों का परिणाम रहा कि अकबर को इस ओर ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा। उसने बीरबल और टोडरमल की राय से बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दी। अकबर के ही वंशज औरंगजेब की नीतियां कट्टरवादी थीं और इसका मंदिर-मस्जिद विवाद पर भी असर पड़ा। 1658 से 1707 ई. के मध्य उसके शासनकाल में राम मंदिर के लिए 30 बार युद्ध हुए। इन युद्धों का नेतृत्व बाबा वैष्णवदास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदंबा सिह आदि ने किया। माना जाता है कि इन युद्धों में दशम गुरु गोबिंद सिंह ने निहंगों को भी राम मंदिर के मुक्ति संघर्ष के लिए भेजा था और आखिरी युद्ध को छोड़ कर बाकी में हिंदुओं को कामयाबी भी मिली थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस दौर में मंदिर समर्थकों का कुछ समय के लिए राम जन्मभूमि पर कब्जा भी रहा होगा और औरंगजेब ने पूरी ताकत से उसे छुड़वाया होगा।

इतिहास की एक अन्य धारा का तो यहां तक कहना है कि राम मंदिर बाबर के नहीं औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त किया गया और उसके ही आदेश से अयोध्या के कुछ और प्रमुख मंदिर तोड़े गए। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल सत्ता का तो पतन हो गया पर मंदिर के लिए संघर्ष बरकरार था। हालांकि, अवध के नवाबों के समय अयोध्या को कुछ हद तक सांस्कृतिक-धार्मिक स्वायत्तता हासिल हुई। बार-बार के युद्धों से तंग अवध के नवाब सआदत अली खां ने अकबर की भांति हिंदुओं और मुस्लिमों को साथ-साथ पूजन एवं नमाज की अनुमति दी। इसके बावजूद संघर्ष नहीं थमा।

एक तारीख, जब आस्था के अतिरेक ने बिगाड़ी बात

छह दिसंबर, 1992 को आठ बजे से ही विभिन्न प्रांतों से आए कारसेवकों और पत्रकारों का समूह विवादित ढांचे के पास पहुंचने लगा था। वे विभिन्न मंदिरों के साथ विवादित ढांचे से लगे उप्र शासन की ओर से अधिगृहीत 42 एकड़ के रामकथा कुंज परिसर में लगाए गए कैंपों में रुके थे। कारसेवा के लिए घोषित स्थान विवादित ढांचे से लगभग 14 फीट नीचे विशाल समतल सतह पर कंक्रीट का चबूतरा (जुलाई 1992 में कारसेवकों द्वारा निर्मित) था। 10.30 बजते-बजते कारसेवकों की भारी भीड़ पहुंच चुकी थी। 11 बजे तक घोषित कार्यक्रम के अनुसार कारसेवक कंक्रीट के चबूतरे के नजदीक पहुंचने लगे। लगभग 50 हजार कारसेवक एकत्र हो चुके थे। कारसेवकों का यह दल जिस विशाल समतल क्षेत्र में एकत्रित था, उससे लगभग 14 फीट की ऊंचाई पर लोहे की बैरीकेडिंग से घिरा हुआ 95 फीट चौड़ा और 126 फीट लंबा विवादित ढांचा केंद्रीय सुरक्षा बल की कड़ी सुरक्षा में कैद था। 11.30 से कारसेवक सरयू जल एवं बालू से कंक्रीट चबूतरा धोने लगे।

लगभग 11.55 बजे विवादित ढांचे के पूर्वी भाग से एक के बाद एक तीन बार लंबी सीटी बजने की आवाज सुनाई दी, जिसे लोगों ने यह समझा कि व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने व अंदर आने के लिए दबाव बना रहे कारसेवकों को नियंत्रित करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन कुछ ही क्षणों में जब विवादित ढांचे की बैरीकेडिंग के पीछे खड़े केंद्रीय बल के जवानों की नजर हलचल पर पड़ी तो दिखा कि कारसेवकों के झुंड से अलग युवकों का एक दल ढांचे के पूर्वी हिस्से से 14 फीट की ऊंचाई पर लगी बैरीकेडिंग पर तेजी से चढ़कर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। देखते-देखते युवक बैरीकेडिंग के पूर्वी गलियारे में पहुंचने में सफल हो गए। इसके बाद नीचे से गुंबद पर रस्सी फेंक युवकों ने गुंबद पर चढ़ना शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देख गुंबद की छत पर पहुंचे युवकों से तत्काल नीचे उतरने की अपील की गई, लेकिन वे नीचे नहीं उतरे। इस बीच अन्य युवक गैंती व कुदाल के साथ ऊपर पहुंच गए। प्रेस फोटोग्राफर फोटो खींचने लगे तो कारसेवकों ने कैमरों को छीन लिया। पत्रकारों के कैमरों की रीलें नष्ट कर दी गईं या कैमरे तोड़ दिए गए। लगभग 1. 25 बजे पूर्वी गुंबद गिर गया। अयोध्या के तत्कालीन डीएम ने केंद्रीय बलों को कैंट से अयोध्या कूच का आदेश जारी किया। सशस्त्र बलों का कारवां रानोपाली क्रासिंग तक पहुंच चुका था और वे सिटी मजिस्ट्रेट से रास्ता बलपूर्वक खाली कराने के लिए लिखित आदेश मांग रहा था। सिटी मजिस्ट्रेट ने लिखित आदेश देने से मना कर दिया और सशस्त्र बलों को इंतजार करने को कहा। इस मध्य केंद्रीय गुंबद भी गिर गया और 3.30 बजते-बजते पश्चिमी गुंबद भी गिर गया।

(घटना वाले दिन शिक्षाविद एवं पत्रकार डॉ. वीएन अरोरा की आंखों देखी पर आधारित।)

कमीशन का निष्कर्ष, कभी मस्जिद थी ही नहीं

1847 से 1857 ई. के मध्य अवध के आखिरी नवाब रहे वाजिद अली शाह के समय बाबा उद्धव दास के नेतृत्व में दो बार युद्ध का उल्लेख मिलता है। परिणामस्वरूप नवाब ने एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को शामिल कर कमीशन का गठन किया। कमीशन का निष्कर्ष था कि वहां कभी मस्जिद थी ही नहीं। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर जिस ढांचे का निर्माण कराया था, उसके एक पत्थर पर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह फरिश्तों के अवतरण का स्थल है। इसी का असर था कि हिंदुओं-मुस्लिमों की एकता प्रतिष्ठित हुई। इसी दौरान अयोध्या-फैजाबाद के स्थानीय मुस्लिमों ने बैठक कर तय किया कि मुस्लिम राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद का दावा छोड़ दें। अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इस मुहिम के सूत्रधार अमीर अली एवं बाबा रामशरणदास को विवादित स्थल के कुछ ही फासले पर स्थित इमली के पेड़ पर फांसी दे दी।

27 वर्ष पूर्व बना अस्थाई मंदिर

1986
एक फरवरी को विवादित स्थल पर पूजा की अनुमति दी गई और विवादित इमारत का ताला खोला गया।

1992
छह दिसंबर को कारसेवकों ने विवादित ढांचा ढहा दिया। इसके बाद वहां 80 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा व करीब 16 फीट ऊंचा अस्थाई मंदिर बनाया गया।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 152

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 10 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

जहां रामलला विराजमान रहे हैं, वहां राम जन्मस्थान स्वयं सिद्ध रही है। कोर्ट का फैसला वस्तुत: सच्चाई की जीत है। जल्दी ही वहां भव्य मंदिर के रूप में रामभक्तों का चिर स्वप्न भी साकार होगा।

महंत नृत्यगोपालदास, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं मणिरामदास जी की छावनी के महंत

वहीं बनेगा मंदिर

- विवादित स्थान रामलला का, वैकल्पिक जगह पर मस्जिद
- पांच जजों की संविधान पीठ का सर्वसम्मति से फैसला
- निर्मोही अखाड़ा व शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज

माला दीक्षित ● नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने 500 साल से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप करते हुए शनिवार को अपने ऐतिहासिक सर्वसम्मत फैसले में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। अपनी जन्मभूमि पर मालिकाना हक का मुकदमा लड़ रहे रामलला विराजमान को जन्मभूमि मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का अंदरूनी और बाहरी अहाता ट्रस्ट या बोर्ड के जरिये मंदिर निर्माण के लिए देने का आदेश दिया। तीन महीने के अंदर अयोध्या अधिग्रहण कानून 1993 की धारा 6 और 7 के तहत एक योजना बनाकर सरकार को ट्रस्ट गठित करने का आदेश है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक संपत्ति ट्रस्ट को नहीं सौंप दी जाती, तब तक संपत्ति केंद्र के रिसीवर के ही कब्जे में रहेगी। जबकि गैरकानूनी ढंग से तोड़ी गई मस्जिद के बदले मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया है। संविधान पीठ के पांच न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश गलत ठहराया है। शनिवार को छुट्टी के दिन खचाखच भरे कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट ने 1045 पृष्ठ के अपने फैसले में कहा कि जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का आदेश कानूनन बने रहने लायक नहीं है। यहां तक कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिहाज से भी हाई कोर्ट द्वारा दिया गया समाधान व्यवहारिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन 1500 वर्गगज है और इसे विभाजित करने से न तो पक्षकारों के उद्देश्य पूरे होते हैं और न ही स्थायी शांति और सद्भाव सुनिश्चित होता है। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा समय बाधित घोषित कर निरस्त कर दिया, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुकदमा समय भीतर दाखिल किया गया माना। हाई कोर्ट ने दोनों के मुकदमे समय बाधित घोषित कर खारिज कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रामलला का मुकदमा स्वीकार करने योग्य है और वह कानून की निगाह में न्यायिक व्यक्ति हैं। देवकी नंदन अग्रवाल को रामलला की ओर से मुकदमा करने का अधिकार है। 1500 वर्गगज की विवादित भूमि रामलला के हक में डिक्री करने के साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन आवंटित करना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि मुसलमानों की मस्जिद गैरकानूनी ढंग से नष्ट की गई।

हिंदू पक्ष का दावा मुस्लिम पक्ष से ज्यादा मजबूत: कोर्ट ने कहा कि संभावनाओं का संतुलन और जमीन पर कब्जे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा सुबूतों को देखते हुए मुस्लिम पक्ष से ज्यादा मजबूत है।

मुसलमानों को दी पांच एकड़ जमीन: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को वैकल्पिक स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 22-23 दिसंबर, 1949 की रात मस्जिद से बेदखल कर दिया गया और अंततः 6 दिसंबर, 1992 को मस्जिद ध्वस्त कर दी गई। मुसलमानों ने कभी भी मस्जिद को त्यागा नहीं था। कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुनिश्चित करेगा कि जिसके साथ गलत हुआ है, वह ठीक किया जाए। अनुच्छेद 142 में अधिकार है कि विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का आदेश दे सकता है।

पीठ ने कहा कि कोर्ट मुसलमानों के अधिकार को नजरअंदाज कर देता है तो न्याय नहीं होगा। मुसलमानों को मस्जिद से इस तरह वंचित किया गया जिसे कानून के शासन वाले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में नहीं अपनाया जाता। संविधान सभी धर्मों को समान मान्यता देता है। सहिष्णुता, सहअस्तित्व और धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्र और जनता की प्रतिबद्धता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि या तो केंद्र सरकार अयोध्या में अधिगृहीत की गई जमीन से पांच एकड़ भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित करे या फिर उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में उचित और प्रमुख स्थान पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमीन आवंटित करे। मुसलमानों को जमीन आवंटन में केंद्र व राज्य आपस में परामर्श करेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड को उस आवंटित जमीन पर मस्जिद बनाने की छूट होगी।

निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा समय बाधित बताकर खारिज कर दिया, साथ ही केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह निर्मोही अखाड़ा को भी गठित किए जाने वाले ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा के अधिकार को दी मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल सिंह विशारद की उपासक के तौर पर विवादित स्थल पर पूजा-अर्चना के मांगे गए अधिकार को मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा है कि विवादित स्थल पर पूजा-अर्चना का अधिकार होगा, हालांकि यह अधिकार पूजा अर्चना के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने की संबंधित अथॉरिटी के नियंत्रण और निर्देश के अधीन होगा।

शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्याशित देरी के आधार पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 30 मार्च, 1946 के फैजाबाद अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका 24,964 दिन की देरी से दाखिल की गई है। याचिका में देरी के कारण का उचित आधार भी नहीं दिया गया है।

नई दिल्ली में शनिवार को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला आने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देते अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष नंद किशोर मिश्रा व मुस्लिम नेता शोएब कासिमी ● ध्रुव कुमार

क्या था 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

- 2.77 एकड़ जमीन तीन पक्षों में बराबर-बराबर बांटी गई थी
- निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा, सीता रसोई सहित उसका हिस्सा दिया था
- विवादित भूमि का एक तिहाई बाहरी हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला था

मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से सुनाया गया फैसला अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। यह फैसला एकता, एकजुटता और भारत की महान संस्कृति को मजबूत करेगा।

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

मुझे उस आंदोलन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सबसे बड़ा था। संविधान पीठ के राममंदिर के पक्ष में फैसला देने के लिए मैं दिल की गहराई से धन्य महसूस कर रहा हूं।

लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता

अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हम सब को आपसी सद्भाव बनाए रखना है। यह वक्त सभी भारतीयों के लिए आपसी भाईचारा, विश्वास और प्रेम बनाए रखने का है।

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

पहली बार शनिवार को फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 69 वर्ष के अपने इतिहास में संभवत: पहली बार शनिवार को कोई फैसला सुनाया है। आम तौर पर सोमवार से शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। असाधारण परिस्थितियों में अदालत में शनिवार या किसी अन्य अवकाश के दिन या फिर रात में सुनवाई होती है। छह दिसंबर 1992 की शाम को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एमएन वेंकटचलैया ने सुनवाई कर विवादित ढांचा ढहाए जाने पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को फटकार लगाई थी। शीर्ष कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह दुर्लभ मामला है जब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने ऐसे महत्वपूर्ण मामले का फैसला सुनाने के लिए शनिवार का दिन चुना।

दो घंटे पहले ही कोर्ट पहुंच गए थे वकील और पत्रकार

सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को अलग तरह का माहौल था। कोर्ट नंबर एक, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को अयोध्या मामले का फैसला सुनाना था वहां प्रवेश करने के लिए बड़ी संख्या में वकीलों और पत्रकारों को संघर्ष करते देखा गया। फैसला सुनाने के लिए सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित था। लेकिन विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और पत्रकार दो घंटे पहले से ही पहुंचने लगे थे। 10:15 तक प्रतीक्षा करने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने एक-एक कर तीनों दरवाजे खोले। प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। सुबह 10:30 बजे से एक मिनट पहले पांचों न्यायाधीशों के बैठते ही सबकुछ सामान्य हो गया।

19 गवाहियों का किया विश्लेषण

रामजन्मभूमि मामले में विवाद के बिंदु तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19 ऐसे गवाहों की गवाहियों का विश्लेषण किया जिनसे रामलला के वकील ने जिरह की थी। इसके लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने हिंदू और मुस्लिम गवाहों की गवाहियों में अंतर की बारीकी से जांच की। पीठ के मुताबिक, मुस्लिम जिसे बाबरी मस्जिद बताते हैं उसे हिंदू रामजन्मभूमि मानते हैं। इस बात को लेकर भी विवाद था कि 22-23 दिसंबर, 1949 से पहले तीन गुंबदों वाले ढांचे के गर्भ गृह में पूजा की जा रही थी अथवा नमाज पढ़ी जा रही थी। मुस्लिमों का कहना था कि 22 दिसंबर, 1949 तक वहां नमाज पढ़ी गई थी। जबकि हिंदुओं का कहना था कि वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी।

परासरन की दलीलों ने रखी फैसले की नींव

जेएनएन, नई दिल्ली: राम जन्मभूमि मामले के फैसले की नींव दरअसल वरिष्ठ वकील के. परासरन ने अपनी दमदार दलीलों से रख दी थी। देश के अटार्नी जनरल रह चुके 92 वर्षीय परासरन का कद बताने के लिए एक वाकया काफी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह रामलला की तरफ से पक्ष रखने के लिए जैसे ही खड़े हुए, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उनसे पूछा, 'क्या आप बैठकर बहस करना चाहेंगे?' परासरन ने कहा, 'कोई बात नहीं। बार की परंपरा खड़े होकर ही बहस करने की है।'

अयोध्या मामले में उन्होंने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर साबित करने की कोशिश की कि राम का जन्म ठीक उसी स्थान पर हुआ था जहां रामलला विराजमान हैं और जो जगह विवादित ढांचे में केंद्रीय गुंबद के नीचे थी। इस दौरान उन्होंने पौराणिक ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों और इतिहास में दर्ज बातों को रखा। अपनी दलीलों के समर्थन में स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण और विदेशी यात्रियों के वर्णन का हवाला दिया। यह भी दलील दी कि अयोध्या में बहुत सी मस्जिदें हैं और मुसलमान उनमें से कहीं पर भी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं के आराध्य श्रीराम के जन्मस्थान को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। 2016 के बाद से कोर्ट में परासरन की उपस्थिति भले ही कम रही हो, दो बड़े मुकदमों ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। सबरीमाला और राम जन्मभूमि मामला। सबरीमाला मामले में उन्होंने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध किया था जबकि सेतुसमुद्रम परियोजना मामले में रामसेतु के समर्थन में सरकार का विरोध किया था। परासरन ने सुप्रीम कोर्ट में 1958 में प्रैक्टिस शुरू की थी। आपातकाल के दौरान तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल थे। 1980 में सॉलिसिटर जनरल और 1983 से 1989 तक देश के अटॉर्नी जनरल रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उन्हें पद्म भूषण तो मनमोहन सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा और संसद के उच्च सदन में मनोनीत किया। परासरन का जन्म 1927 में तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ। उनके पिता केशव अयंगर वैदिक विद्वान थे और मद्रास हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी।

के. परासरन, वरिष्ठ वकील

ट्रस्ट करेगा मंदिर निर्माण

माला दीक्षित ● नई दिल्ली

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यास (ट्रस्ट) करेगा। न्यास ही मंदिर प्रबंधन और वहां का अन्य कामकाज देखेगा। ट्रस्ट में कौन-कौन होगा यह भी केंद्र सरकार ही तय करेगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ही तर्ज पर एक ट्रस्ट का गठन होगा जो मंदिर का निर्माण कराएगा और उसका प्रबंधन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर ट्रस्ट का गठन करे और विवादित जमीन का अंदरूनी और बाहरी हिस्सा ट्रस्ट को सौंपे। केंद्र ट्रस्ट के अधिकार और कामकाज को लेकर नियम भी बनाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट के अधिकार में मंदिर बनाना शामिल होगा। मंदिर बनने के लिए सरकार अधिगृहीत जमीन भी दे सकती है क्योंकि केंद्र सरकार को अधिगृहीत जमीन ट्रस्ट या किसी और संस्था को देने का अधिकार है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जबतक ट्रस्ट बनाकर संपत्ति उसे नहीं सौंप दी जाती तबतक संपत्ति केंद्र के रिसीवर के ही कब्जे में रहेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, फैसला देश के लिए नया सवेरा

नई दिल्ली : अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि यह फैसला देश के लिए नया सवेरा लेकर आया है। इसमें किसी तरह के भय, कटुता और नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से सैकड़ों साल पुराना विवाद खत्म हो गया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस विवाद को भूलकर अब हमें राष्ट्र निर्माण में जुट जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का दिन है। हर हाल में देशवासियों को साथ रहना है ताकि लोगों के बीच एकता बनी रहे। ● पेज 3

एनआरसी और सिटिजन एक्ट अब बड़े मुद्दे

नीलू रंजन ● नई दिल्ली

कश्मीर और राममंदिर के बाद यह सवाल लाजिमी है कि अब भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे में क्या होगा? अटकलों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन यह मानकर चला जा सकता है कि भाजपा फिलहाल विकास से जुड़े अपने एजेंडे के अलावा घुसपैठियों से निपटने के लिए पूरे देश में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) लागू करने और नागरिकता कानून में संशोधनों जैसे मुद्दों पर ही केंद्रित रहेगी।

विकास से जुड़े अपने एजेंडे के अलावा इन कानूनों में संशोधनों के जरिये भाजपा राष्ट्रवाद को दे सकती है धार

दरअसल लंबे समय से अयोध्या, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता भाजपा के राजनीतिक एजेंडे में अहम रहा है। विपक्षी दलों ने भले ही इन्हें सांप्रदायिक एजेंडा करार दिया हो, भाजपा हमेशा इन्हें राष्ट्रवादी एजेंडे का हिस्सा बताती रही है। यहां तक कि सिटिजन एक्ट और एनआरसी को भी विपक्ष की ओर से सांप्रदायिक करार दिया जाता रहा है। माना जा रहा है कि एनआरसी और नागरिकता कानून में संशोधन के मुद्दे भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

भाजपा अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार साफ किया है कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में नागरिकता कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जा सकता है। जाहिर है विपक्षी पार्टियों के लिए एनआरसी और नागरिकता कानून में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध मजबूरी होगी। विपक्षी दल जितना मुखर विरोध करेंगे, भाजपा के लिए खुद को राष्ट्रवादी साबित करना उतना ही आसान होगा। इसलिए विपक्षी दलों को भाजपा की नीतियों की काट निकालने की चुनौती है। अयोध्या में राममंदिर का निर्माण, कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और तीन तलाक पर कानून के साथ समान नागरिक संहिता को अंतिम परिणति तक पहुंचाने का श्रेय तो भाजपा के खाते में ही जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि भाजपा अपने राष्ट्रवाद के एजेंडे को लगातार बढ़ावा देती रहेगी और आगामी विधानसभा चुनावों में इसे मुद्दा भी बनाएगी।

राज्यपाल ने फड़नवीस को दिया सरकार बनाने का न्योता

- कोश्यारी ने पत्र भेजकर पूछा-क्या सरकार बनाने के इच्छुक हैं
- भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद बताएगी सरकार बनाने पर स्थिति

मुंबई में शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस, साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल (दाएं)। एएनआइ

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ने भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा है। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि रविवार को कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी राज्यपाल को बताएगी कि वह सरकार बनाना चाहती है, या नहीं।

राजभवन की ओर से शनिवार देर शाम जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यपाल की ओर से भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस को पत्र भेजकर पूछा गया है कि क्या वह सरकार बनाने के इच्छुक हैं। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने और 24 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आने के 15 दिन बाद तक भी किसी दल की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया है। तब राज्यपाल ने स्वयं सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशनी शुरू की हैं। इसी क्रम में उनकी ओर से सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि भाजपा-शिवसेना ने चुनाव पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इसमें भाजपा को 105 और शिवसेना को 56 सीटें प्राप्त हुई हैं। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शिवसेना की ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग करने के कारण दोनों दलों के बीच तनातनी का दौर चल रहा है।

आज होगी भाजपा की बैठक : इस बीच राज्यपाल शुक्रवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने की जिम्मेदारी दे चुके हैं। आज राजभवन से भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण मिलने के बाद भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बयान दिया है कि रविवार को भाजपा कोर कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा कि भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश करेगी या नहीं। बता दें कि यदि भाजपा सरकार बनाने का दावा करती है तो राज्यपाल भाजपा की अल्पमत सरकार को शपथ दिलाकर उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कुछ दिनों का मौका दे सकते हैं। यदि भाजपा अपने पुराने निर्णय के अनुसार सरकार बनाने से इन्कार कर देती है, तो राज्यपाल के पास दूसरे सबसे बड़े दल, यानी शिवसेना को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा। शिवसेना पहले से ही 170 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा करती आ रही है। वहीं, राकांपा के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि राज्यपाल का निर्णय देर से आया है। अगर शक्ति परीक्षण हुआ तो राकांपा निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ वोट देगी। और अगर शिवसेना ने भाजपा के खिलाफ वोट किया तो वह शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने पर विचार करेगी।

फिर भी आसान नहीं सरकार बनाना : लेकिन सरकार बनाना शिवसेना के लिए भी आसान नहीं होगा। क्योंकि राज्यपाल उससे कम से कम 145 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी मांग सकते हैं। अथवा उससे भी आगे उसे समर्थन कर रहे विधायकों की राजभवन में प्रत्यक्ष परेड करवाने को कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में शिवसेना के पास दोनों विपक्षी दलों कांग्रेस और राकांपा के विधायकों का समर्थन जरूरी होगा।

इंतजार खत्म

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान में इमरान खान ने किया उद्घाटन, प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर के लिए इमरान खान का किया धन्यवाद, जत्थे में मनमोहन, कैप्टन, बादल, सिद्धू व सनी देयोल भी गए

72 साल की अरदास पूरी, करतारपुर साहिब के हुए दर्शन

भूपेंदर सिंह भाटिया, डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर)

श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मना रहे सिख समाज की 72 साल की अरदास शनिवार को पूरी हो गई और भारतीय सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन का सौभाग्य मिला। भारतीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह पहले सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला) पहुंचे और गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में माथा टेका। इसके बाद डेरा बाबा नानक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर के पैसेंजर टर्मिनल अर्थात इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया और खालसाई ध्वज दिखाकर पहले जत्थे को गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए रवाना किया। उन्होंने गुरु नानक देव पर 550 रुपये का सिक्का भी जारी किया। पीएम मोदी ने कॉरिडोर की शुरुआत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान और सिख संगत की भावनाओं का ख्याल रखा, बल्कि उन भावनाओं का सम्मान भी किया। मोदी ने कहा कि श्री गुरुनानक देव जी पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत थे। उन्होंने जब सुल्तानपुर लोधी छोड़ विश्व भ्रमण शुरू किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह युग बदलने की शुरुआत है। उनकी उदासियां (धार्मिक यात्राएं) पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। करतारपुर की धरती में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और उसके कण-कण में उनके पसीने की महक है। मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में भी सिख परिवारों को वह अधिकार मिल पाएंगे जो वहां के लोगों को मिलते थे।

पंजाब में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में शनिवार को करतारपुर कॉरिडोर की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

एसजीपीसी ने किया सम्मानित : एसजीपीसी ने बतौर प्रधानमंत्री सिख पंथ के हित में किए कार्यों के लिए मोदी को कौमी सेवा अवार्ड प्रदान किया, जिसे उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित कर दिया।

डॉ. मनमोहन बोले, दोनों देशों ने की अच्छी शुरुआत : श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में पहले जत्थे में करीब पांच सौ श्रद्धालु गए। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, सांसद सनी देयोल और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी गए दर्शन कर शाम को वापस लौट आए। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि दोनों देशों की ओर से यह अच्छी शुरुआत है।

बाज नहीं आए इमरान, आलापा कश्मीर का राग : भारत से गए पहले जत्थे की मौजूदगी में इमरान खान ने कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए कहा कि मुझे एक साल पहले तक इस स्थान की अहमियत का पता नहीं था, लेकिन आज अपार खुशी हो रही है कि आपके लिए मैं ऐसा कर सका। हालांकि इमरान अपनी आदतों से बाज नहीं आए। कहा, 'कश्मीर में 80 लाख लोगों को नौ लाख की फौज घाटी में बंद कर दिया है। कश्मीर अब सीमा की हदबंदी का नहीं, इंसानी हकों का मुद्दा बन गया है। वहां कश्मीरियों के सभी हक छीन लिए गए हैं। उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो कश्मीर को इंसाफ दें, ताकि हम सब इंसानों की तरह रह सकें। हम चाहते हैं कि भारत और पाक की सीमाएं ही खुल जाएं। दोनों देश व्यापार के रास्ते पर आगे बढ़ें, ताकि दोनों ओर जलालत खत्म हो सके। इमरान बोले, जब वह प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार मोदी से बात करते हुए कहा था कि कश्मीर का मसला हम मिल-बैठकर क्यों हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री ने नरूल हक कादरी ने कहा कि अगर बर्लिन की दीवार गिर सकती है, कॉरिडोर खुल सकता है तो एलओसी भी खत्म हो सकती है। (पेज-11 भी देखें)

सर्वसम्मत फैसला

मस्जिद के निर्माण से पहले हिंदू रामजन्मभूमि पर पूजा कर रहे थे। मस्जिद बनने के बाद भी वे आज की तारीख तक पूजा करते रहे। यह एक महान फैसला है। एक ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त किया गया है।
–पीएस नरसिम्हा, रामलला विराजमान के वकील

सर्वोच्च न्यायालय में अहम सुबूत साबित हुई एएसआइ की रिपोर्ट

माला दीक्षित • नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रिपोर्ट अहम सुबूत साबित हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआइ ने विवादित जमीन की खोदाई की थी। एएसआइ ने उत्खनन के बाद अदालत में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ढांचे के नीचे उत्तर भारत के मंदिरों की शैली से मेल खाता विशाल ढांचा मिला है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया।

एएसआइ की रिपोर्ट से मुस्लिम पक्ष की यह दलील निर्मूल साबित हो गई कि बाबर ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण खाली जमीन पर कराया था और वहां पहले कोई मंदिर नहीं था। इतना ही नहीं रिपोर्ट से हिंदू पक्ष के मुकदमे को भी बल मिला था जो शुरू से राम जन्मस्थान पर मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए जाने का आरोप लगाते हुए जमीन पर मालिकाना हक का दावा कर रहा था।

• ढांचे के नीचे मिली थी मंदिर से मेल खाती विशाल संरचना • खाली जमीन पर मस्जिद के निर्माण की दलील भी हुई गलत साबित

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का निष्कर्ष

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर हिंदू–मुस्लिम पक्ष के विरोधाभासी दावों को देखते हुए रिपोर्ट पर नजर डालनी जरूरी हो जाती है। एएसआइ रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि पुरातत्वसाक्ष्यों को संपूर्णता में देखने से पता चलता है कि विवादित स्थल के ठीक नीचे एक विशाल संरचना थी और वहां लगातार निर्माण के साक्ष्य हैं, जो कि दसवीं शताब्दी से लेकर विवादित ढांचा बनने तक जारी रहा। यहां से नक्काशीदार ईंटें, देवताओं की युगल खंडित मूर्ति और नक्काशीदार वास्तुशिल्प, जिसमें पत्तों के गुच्छे, अमालका, कपोतपाली, दरवाजों के हिस्से, कमल की आकृति,गोलाकार (श्राइन) पूजा स्थल जैसी चीजें मिली हैं जिसमें उत्तर की ओर निकला एक परनाला भी है, (इसे भगवान शिव के मंदिर से जोड़ कर देखा जा रहा है)। उस बड़े ढांचे में पचास खंभों का आधार मिला है। ये अवशेष उत्तर भारत के मंदिरों की खासियत से मेल खाते हैं।

खोदाई एएसआइ के इतिहास की अप्रत्याशित घटना रिपोर्ट में अयोध्या में की गई खोदाई को एएसआइ के इतिहास की अप्रत्याशित घटना बताया गया था। एएसआइ ने पांच माह में विवादित स्थल पर 90 ट्रेंचों की खोदाई की। यह काम 12 मार्च 2003 से 7 अगस्त 2003 तक चला।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई थी खोदाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पक्षकारों के विरोध के बावजूद स्वत: संज्ञान लेते हुए एक अगस्त और 23 अक्टूबर 2002 को विवादित स्थल के नीचे जियो रेडियोलाजिकल सर्वे का आदेश दिया था। तोजो विकास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने सर्वे किया और 17 फरवरी 2003 को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। सर्वे में जमीन के अंदर कुछ विसंगतियां पाई गईं जिसे देखते हुए हाई कोर्ट ने पांच मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम को विवादित स्थल की खोदाई कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। एएसआइ ने 25 अगस्त 2003 को हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की थी मौजूदगी

एएसआइ की खोदाई हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई थी। खोदाई की निगरानी के लिए लगातार कोर्ट पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे थे। खोदाई की वीडियो रिकार्डिंग और फोटोग्राफी भी हुई थी और सारा रिकार्ड रिपोर्ट के साथ कोर्ट को सौंपा गया था। खोदाई करने वाले मजदूरों से लेकर एएसआइ के अधिकारियों में भी यह सुनिश्चित किया गया था कि हर स्तर पर दोनों संप्रदाय के लोग रहें।

सुबूत पर टिका है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : केके मुहम्मद

कोझिकोड (केरल), एएनआइ : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर) केके मुहम्मद ने शनिवार को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए उसे एकदम 'सही निर्णय' बताया। उन्होंने कहा, 'अदालत ने एएसआइ द्वारा प्रस्तुत सुबूतों के आधार पर फैसला दिया है। जहां तक मैं सोच सकता हूं यह एकदम सही फैसला है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फैसला इतना सही होगा। मैं दोषमुक्त महसूस कर रहा हूं (जब मैने कहा था कि मस्जिद से पहले वहां राम मंदिर मौजूद था), कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। जैसा हम सभी चाहते थे, यह फैसला वैसा ही है।'

प्रो. लाल के एक दशक पहले किए दावे पर लगी मुहर

विशाल श्रेष्ठ, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एएसआइ के पूर्व महानिदेशक **प्रो. बीबी लाल** के एक दशक पहले किए गए दावे पर कानूनी मुहर लगा दी है। 98 साल के प्रो. लाल ने 2008 में लिखी पुस्तक रामा, हिज हिस्टोरीसिटी मंदिर एंड सेतु एविडेंस ऑफ लिटरेचर, आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंसेज' में कहा है कि बाबरी मस्जिद के ढहाए गए ढांचे के नीचे मंदिर जैसी संरचना है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रो. लाल ने लिखा कि विवादित ढांचे के नीचे से पत्थर के 12 ऐसे स्तंभ मिले हैं, जिनमें हिंदू रूपांकन एवं बनावट के साथ ही देवी–देवताओं की आकृतियां भी उभरी हुई हैं। इनसे साबित होता है कि वे मस्जिद का अभिन्न हिस्सा नहीं हैं। प्रो. लाल ने यह निष्कर्ष अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर जैसे स्थलों की खोदाई के आधार पर निकाला था। ज्ञात हो, प्रो. लाल ने 1975–76 में एएसआइ की फंडिंग वाली उस परियोजना में काम किया था। वह 1968 से 1972 तक एएसआइ के महानिदेशक रहे।

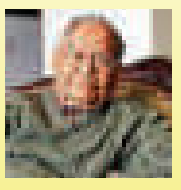

किताब की शक्ल में आएगी एएसआइ की रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय संस्कृति मंत्री **प्रह्लाद पटेल** ने शनिवार को कहा कि अयोध्या में विवादित जमीन पर खोदाई से संबंधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रिपोर्ट को पुस्तक का रूप दिया जाएगा। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पटेल ने खोदाई के बाद रिपोर्ट तैयार करने वाली एएसआइ की टीम को बधाई भी दी। उन्होंने कहा, 'अब अदालत की संपत्ति बन गई एएसआइ की रिपोर्ट को जल्द ही आम लोगों के लिए पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।' बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआइ ने 2003 में अयोध्या में विवादित स्थल पर खोदाई की थी। 1045 पेज के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व विभाग की इस रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। कोर्ट के फैसले में पुरातत्व विभाग की इस रिपोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विवादित स्थल के नीचे कोई इस्लामिक संरचना नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद के नीचे 12वीं सदी के मंदिर के समान ढांचा मिला था।

एक–दूसरे की आस्था में न दें दखल : सुप्रीम कोर्ट

यह मामला पुरातात्विक आधार के संदर्भों से भरा हुआ है, कानून ही बहु सांस्कृतिक समाज की इमारत तैयार करता है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर अपने फैसले में कहा है कि यह एक ऐसा मामला है जो पुरातात्विक आधार के संदर्भों से भरा हुआ है। इसके बारे में हमें यह याद रखना जरूरी है कि कानून ही हमारे बहु सांस्कृतिक समाज की इमारत तैयार करता है। कानून वह आधार तैयार करता है जिस पर इतिहास, विचारधारा और धर्म के अनेक आयाम प्रतिस्पर्धा करते हैं। इनकी सीमाओं का निर्धारण कर इस अदालत को अंतिम पंच के तौर पर संतुलन के भाव की रक्षा करनी है, जिसके तहत एक आस्था के नागरिक दूसरी आस्था के नागरिकों के क्रियाकलापों में दखल न दें और न ही एक दूसरे पर दबदबा कायम करें।

अदालत ने कहा, 15 अगस्त 1947 को देश ने आत्मनिर्णय की धारणा को साकार किया था। 26 जनवरी 1950 को हमने दृढ़निष्ठा के साथ खुद को भारत का संविधान दिया जो हमारे समाज को परिभाषित करता है। संविधान के हृदय में समानता की प्रतिबद्धता कानून के जरिये सुनिश्चित की गई है। संविधान में सभी धर्म, आस्था, विश्वास के लोग समान हैं। इस अदालत का हर न्यायाधीश सिर्फ जिम्मेदार नहीं है बल्कि संविधान और इसके मूल्यों से बंधा हुआ है। संविधान धर्म और आस्था में कोई भेदभाव नहीं करता। उसकी नजर में सभी पूजा पद्धतियां समान हैं। जिन लोगों पर समाज की व्याख्या करने, इसे लागू करने और इसके मुताबिक चलने की जिम्मेदारी है, वे समाज या राष्ट्र पर जोखिम की हालत में ही इसे नजरअंदाज कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा,मौजूदा मामले में इस अदालत पर अद्वितीय पहलू के तथ्यों की छानबीन की जिम्मेदारी है। विवाद अचल संपत्ति पर है। यह अदालत मालिकाना हक का फैसला आस्था और विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि प्रमाणों के आधार पर कर रही है। कानून में मालिकाना हक और सुपुर्दगी के व्यापक मानदंड तय किए गए हैं। विवादित संपत्ति में हक का फैसला करते वक्त अदालत साक्ष्य के निर्धारित सिद्धांतों पर अमल करती है।

संभावनाओं के संतुलन को देखा जाए तो साक्ष्य साफ संकेत करते हैं कि 1857 में ग्रिल और ईंट की दीवार बनने के बावजूद हिंदू लगातार और बेरोकटोक बाहरी अहाते में पूजा करते रहे। यहां हिंदुओं के अधिकार का दावा उनके कब्जे की घटनाओं को देखते हुए स्थापित सा लगता है। जहां तक अंदर के परकोटे की बात है तो यह स्थापित करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि अंग्रेजों द्वारा 1857 में अवध प्रांत बनाने से पहले भी यहां हिंदू पूजा करते रहे। मुस्लिम पक्ष ने इस बात के कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध कराए कि 16वीं शताब्दी में ढांचा बनने के बाद से लेकर 1857 तक यह जगह उनके पूर्ण स्वामित्व में थी।

कोर्ट ने कहा, ग्रिल और ईंट की दीवार बनने के बाद मस्जिद परिसर में नमाज पढ़ने के संकेत मिले। वक्फ निरीक्षक की दिसंबर 1949 की रिपोर्ट ये संकेत देती है कि वहां मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए निर्बाध प्रवेश करने से रोका गया। हालांकि इसके साक्ष्य हैं कि वहां नमाज होती रही और वहां जुमे की आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिमों को वहां घुसने और नमाज पढ़ने से रोकने की घटना 22/23 दिसंबर 1949 को हुई जब वहां पर मूर्तियां रख दी गईं। मुस्लिमों को तब वहां से किसी कानूनी प्राधिकार के तहत नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से रोकने के सोचे-समझे इरादे के तहत बेदखल किया गया।

सीआरपीसी की धारा 145 के तहत अंदरूनी परकोटे को अटैच करने के बाद वहां एक रिसीवर तैनात किया गया और मूर्तियों की पूजा की अनुमति दी गई। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान सोची समझी चाल के तहत एक सार्वजनिक पूजा स्थल यानी मस्जिद को गिरा दिया गया। मुस्लिमों को गलत तरीके से उस मस्जिद से वंचित कर दिया गया जिसका निर्माण 450 साल से भी पहले हुआ था।

खामियों के चलते मंजूर नहीं हुई मध्यस्थता रिपोर्ट

नई दिल्ली : अयोध्या विवाद अदालत से बाहर सुलझाने में मध्यस्थता का रास्ता भी विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इसका जिक्र भी किया है, जिसमें खामियां बड़ी वजह थीं। मध्यस्थता करने वाली कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पीठ को सुनवाई खत्म होने के दिन सौंपी, जिसमें तमाम शर्तें थीं। कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पर सिर्फ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी के ही हस्ताक्षर थे, जिससे स्पष्ट था कि इस मसौदे पर सभी पक्षकार सहमत नहीं थे। इन्हीं वजहों से शीर्ष अदालत ने समझौता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार ही नहीं किया। हालांकि समझौता करने के लिए गठित मध्यस्थता कमेटी के प्रयासों की सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रशंसा की गई है।

सोच समझकर गिराया गया था विवादित ढांचा

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में ढांचा गिराए जाने के मसले पर सुनवाई नहीं की, लेकिन अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए इसका जिक्र किया है कि सोच समझकर ढांचा का गिराया गया था। कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत हद तक इस मामले की जांच करने वाले लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट से मेल खाती है।

शीर्ष अदालत ने नोट किया कि विवादित भूमि को लेकर मुकदमों के लंबित रहने के दौरान सोच समझकर सार्वजनिक पूजा स्थल को ध्वस्त कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मुस्लिमों को गलत तरीके से उनके पूजा स्थल से वंचित कर दिया गया, जिसका निर्माण लगभग 450 साल पहले कराया गया था।

टिप्पणी

- शीर्ष अदालत ने लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट जैसी कही बात
- आयोग ने कहा था, सुनियोजित योजना बनाकर गिराया गया ढांचा

अदालत के फैसले में ढांचे को गिराए जाने को लेकर बहुत ज्यादा नहीं कहा गया है, लेकिन इससे घटना के 10 दिन के भीतर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा गठित लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट की याद ताजा हो गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ढांचे को सुनियोजित योजना बनाकर गिराया गया था।

आयोग ने गठन के 17 साल बाद 2009 में मनमोहन सिंह सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने ढांचा विध्वंस के मामले में भाजपा और संघ के शीर्ष नेतृत्व को योजना बनाने का दोषी ठहराया था।

सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण भी ट्रस्ट के था हवाले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार से तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने को कहा है। यह ट्रस्ट मंदिर निर्माण की रूपरेखा बनाएगा। माना जा रहा है कि वह कुछ वैसा ही होगा जैसा सोमनाथ मंदिर के निर्माण के लिए हुआ था। उस ट्रस्ट में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ शिक्षाविद केएम मुंशी ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंततः मई, 1951 में मंदिर बन कर तैयार हो गया। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था।

श्री सोमनाथ ट्रस्ट का गठन गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत एक धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर किया गया था। सरदार पटेल ने जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंहजी रणजीत सिंह जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, जबकि राजनीतिज्ञ, साहित्यकार व शिक्षाविद केएम मुंशी, केंद्रीय मंत्री एनवी गाडगिल और जयसुख लाल हाथी तथा उद्योगपति जीडी बिड़ला और सौराष्ट्र के क्षेत्रीय कमिश्नर डीवी रेगे को सदस्य बनाया गया। तब से अब तक ट्रस्ट का कई बार पुनर्गठन किया जा चुका हैं। आम तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इसके अध्यक्ष और सदस्य के तौर पर नामित किया जाता है।

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की मुहिम आजादी के साथ ही शुरू हो गई थी। आजादी से पहले सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ रियासत में आता था। बंटवारे के बाद जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर विचार प्रारंभ हो गया। तमाम चर्चाओं, विरोध-समर्थन और लिखा-पढ़ी के बाद अंततः सरदार पटेल ने हिंदू जन भावनाओं के मद्देनजर पुराने जीर्णशीर्ण मंदिर के स्थान पर नया मंदिर बनाने के पक्ष में निर्णय लिया और जामनगर में हुए एक सम्मेलन में इसके लिए दो दानदाताओं, केंद्र सरकार के दो मंत्रियों, दो प्रसिद्ध हस्तियों और सौराष्ट्र सरकार के दो प्रतिनिधियों की सदस्यता वाले एक ट्रस्ट के गठन का फैसला हुआ। तदोपरांत मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव लेकर पटेल, मुंशी तथा अन्य कांग्रेसी नेता गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने खुशी-खुशी मंदिर निर्माण की सहमति दे दी, लेकिन सुझाव दिया कि धर्मनिरपेक्ष होने के नाते सरकार को मंदिर में अपना धन लगाने के बजाय श्रद्धालु जनता से चंदा एकत्र करना चाहिए। अंततः इसी आधार पर मंदिर का निर्माण हुआ। जब मई, 1951 में मंदिर बन कर तैयार हो गया तो उसे देखने के लिए न सरदार पटेल दुनिया में थे और न ही महात्मा गांधी। शुरुआती सालों में ट्रस्ट में कांग्रेसी नेताओं का दबदबा रहा। परंतु धीरे-धीरे इसमें बदलाव हुआ और अब भाजपा नेताओं का वर्चस्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे ट्रस्ट के सदस्य बने थे। अब वे प्रधानमंत्री के तौर पर भी इसके सदस्य हैं।

'राम जन्मभूमि का दर्शन करने गुरु नानक देव भी गए थे अयोध्या'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की अयोध्या यात्रा का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, गुरु नानक देव ने राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए सन 1510-11 में अयोध्या की यात्रा की थी। उनकी यात्रा से हिंदुओं की इस आस्था और विश्वास को बल मिलता है कि विवादित भूमि ही भगवान श्रीराम का जन्मस्थान है। कोर्ट ने कहा, जन्म साखी में यह उल्लेख है कि गुरु नानक देव जी अयोध्या गए थे और राम जन्मभूमि का दर्शन किया था। जन्म साखी को शीर्ष अदालत में रिकॉर्ड पर रखा गया है।

संविधान पीठ ने कहा कि एक न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में गुरु नानक देव की अयोध्या यात्रा का हवाला दिया है। जज ने कहा है कि इसको लेकर ठोस तथ्य तो नहीं है कि भगवान राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था, लेकिन गुरु नानक देव का राम जन्मभूमि का दर्शन करने आयोध्या जाने की घटना से साफ है कि सन 1528 से पहले वहां राम जन्मभूमि का अस्तित्व था और श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाते थे। जज ने यह भी कहा, वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण में भी अयोध्या का उल्लेख भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में किया गया है। इन तथ्यों को आधारहीन नहीं ठहराया जा सकता। पीठ ने यह अवलोकन करने वाले जज के नाम का जिक्र नहीं किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था।

डॉ. सत्येंद्र पाल

फैसले में टिप्पणी

- कोर्ट ने कहा, सिख धर्म गुरु की यात्रा से हिंदुओं की आस्था और विश्वास को मिलता है बल
- संविधान पीठ के एक न्यायाधीश ने प्रमाणिक जन्म साखी के तथ्यों के आधार पर फैसले में कही यह बात

अयोध्या की पहचान ही श्री राम से : डॉ. सत्येंद्र पाल

सिख धर्म के जानकार, चिंतक और लेखक डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह भी कहते हैं कि अयोध्या की पहचान ही श्रीराम से है। उनका कहना है कि नौ नवंबर को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना और आज ही करतारपुर कॉरिडोर का उदघाटन महज एक संयोग नहीं, बल्कि सत्य का सिद्ध होना है। डॉ. सिंह के मुताबिक गुरु नानक देव जी जब अपनी धर्म यात्राओं के क्रम में नानकमत्ता, गोला होते हुए जल मार्ग से अयोध्या पहुंचे थे, उस समय उन्होंने अपने साथ चल रहे भाई मरदाना जी का अयोध्या से परिचय श्रीराम चंद्र जी की नगरी के रूप में कराया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद गुरु नानक साहिब का वह वचन सिद्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि गुरु नानक जी अयोध्या में कई दिनों तक रुके थे और यहां संतों से धर्म चर्चा करते हुए कहा था कि अयोध्या वासी श्रीराम चंद्र जी के साथ स्वर्ग इसलिए गए क्योंकि उन्हें श्रीराम चंद्र जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह तथ्य प्रमाणित जन्म साखी में अंकित है।

संविधान पीठ के एक जज ने हिंदुओं की आस्था को महत्वपूर्ण माना

नई दिल्ली, आइएएनएस : संविधान पीठ में शामिल एक न्यायाधीश ने भगवान राम के जन्मस्थान पर अलग दृष्टिकोण पेश किया। हालांकि फैसले में उनके नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी टिप्पणी परिशिष्ट में शामिल की गई है। जज का मानना है कि हिंदुओं की आस्था अहम है।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की है, '... निष्कर्ष यह है कि विवादित ढांचे के निर्माण से पहले व उसके बाद हिंदुओं की आस्था और विश्वास यही रहा है कि जहां विवादित ढांचे का निर्माण किया गया वह भगवान राम का जन्मस्थान है। इसे दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से साबित किया गया है।' तथ्य यह है कि विवादित ढांचा परिसर में लोहे की दीवार के निर्माण से यह नहीं कहा जा सकता कि राम जन्मस्थान को लेकर हिंदुओं की आस्था में बदलाव हो गया। 'बाहरी बरामदे में राम चबूतरे पर पूजा-अर्चना भगवान राम की सांकेतिक पूजा थी, माना जाता है कि वह उस परिसर में पैदा हुए थे।' उन्होंने कहा,ब्रिटिश काल में ही उक्त लोहे की ग्रिल का निर्माण किया गया था। इसका मकसद हिंदुओं को बाहरी बरामदे तक सीमित रखना था। इस दीवार के मद्देनजर ही राम चबूतरे पर पूजा-अर्चना शुरू हुई थी। 1885 में दाखिल अर्जी में उसी चबूतरे पर मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी गई थी जहां ब्रिटिश अफसरों ने पूजा-अर्चना की अनुमति दी थी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई के दौरान एक गवाह ने भी गुरु नानक देव जी राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए अयोध्या में गए थे। उक्त गवाह ने विभिन्न जन्म साखियों में मौजूद तथ्यों को भी अदालत में प्रस्तुत किया था, जिनमें गुरु नानक देव जी के अयोध्या जाने का उल्लेख था।

जस्टिस बोबडे ने कहा, कुर्सी से उठते ही तनाव भुला दिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : नामित मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर तनाव भरी जिरह और थका देने वाली लगातार सुनवाई से मानसिक रूप से उबर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैराथन सुनवाई का अब उन पर कोई असर नहीं है। फैसले के बाद कुर्सी से उठते ही वह सब कुछ भूल चुके हैं।

अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस बोबडे ने शनिवार को बताया कि तनावमुक्त होने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता है। जस्टिस बोबडे का नाम अयोध्या मामले की बहस पूरी होने के दो दिन बाद ही देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया गया था। और फैसला आने के सिर्फ दस दिन पहले ही उन्हें सीजेआइ के तौर पर नामित कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्त के आदेश पर 29 अक्टूबर को दस्तखत कर दिए। जस्टिस बोबडे मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ 18 नवंबर को लेंगे, तब वह देश के 47वें सीजेआइ बनेंगे।

हर बड़े धार्मिक मामलों पर सुनवाई में शामिल रहे जस्टिस नजीर

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर भी शामिल थे। वह पीठ में शामिल इकलौते मुस्लिम जज थे। जस्टिस नजीर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हैं जो ज्यादातर धार्मिक मामलों में सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल रहते हैं।

जस्टिस नजीर उस पांच सदस्यीय पीठ के सदस्य थे, जिसने मुस्लिमों में 1400 साल से चली आ रही तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि, वह फैसले में बहुमत के साथ नहीं गए थे।

परंतु, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। इसका मतलब है कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल जस्टिस नजीर भी अन्य जजों के साथ सुनाए गए फैसले में शामिल हैं। संविधान पीठ ने 2.77 एकड़ की जमीन पर मुस्लिम पक्ष के मालिकाना हक को खारिज करते हुए जमीन के मालिकाना हक को भगवान राम लला को सौंपने का फैसला दिया है।

कर्नाटक हाई कोर्ट में जज रहे जस्टिस नजीर उस तीन सदस्यीय पीठ के सदस्य थे, जिसने शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि मस्जिद इस्लाम की प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उस पीठ में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र और जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल थे।

तीन सदस्यीय पीठ के 27 सितंबर, 2018 के फैसले से ही अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता खुला। उसके बाद ही प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में फैसला देने के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया था। हालांकि, शुरू में जस्टिस नजीर इस पीठ का हिस्सा नहीं थे। लेकिन जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस यूयू ललित के खुद को पीठ से अलग करने के बाद उनके साथ ही जस्टिस भूषण पीठ में शामिल हुए थे।

जस्टिस नजीर निजता के अधिकार मामले पर सुनवाई करने वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ का भी हिस्सा थे। अगस्त, 2017 के अपने फैसले में पीठ ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया था।

जस्टिस नजीर ने 1983 में कर्नाटक हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 61 वर्षीय जस्टिस नजीर को 12 मई, 2003 को कर्नाटक हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था। उसके अगले साल सितंबर में वह स्थायी जज बने थे। 17 फरवरी, 2017 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था।

जस्टिस एस. अब्दुल नजीर

तीन तलाक को अवैध करार देने वाली पीठ का हिस्सा भी थे, निजता को मौलिक अधिकार करार देने वाली नौ सदस्यीय पीठ में भी थे शामिल

गोगोई की है न्याय पर डटे रहने की आदत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अक्टूबर, 2018 में जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला तो उनकी छवि बेहद कठोर व पूरी तरह से न्याय की किताब के मुताबिक चलने वाले न्यायाधीश की थी। अब जबकि उनके सेवानिवृत्त होने में कुछ ही दिन शेष हैं तो कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी छवि के मुताबिक ही काम किया। शुरुआती दिनों में ही नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी) जैसे मामलों की सुनवाई कर उन्होंने अपनी मंशा जता दी थी। उनकी अगुआई में जिस तरह से पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों की टीम ने 70 वर्षों से चले आ रहे अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है उससे उनकी छवि और मजबूत हुई है। यह भी याद रखना चाहिए कि जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के उन वरिष्ठ चार न्यायाधीशों की टीम में भी थे जिन्होंने पिछले वर्ष की शुरुआत में शीर्ष कोर्ट के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। यही वजह है कि जब वह मुख्य न्यायाधीश बने तो कुछ लोगों ने संशय भी किया था। कहने की जरूरत नहीं कि इन संशयों को अब पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि न्याय पर सिर्फ टिके रहना ही नहीं बल्कि निर्धारित समय के भीतर न्याय दिलाना भी उनकी सोच का एक हिस्सा है। यह बात इसलिए भी कही जा सकती है कि चाहे एनआरसी का मामला हो या अयोध्या का, अड़चनें कम नहीं थीं। जस्टिस गोगोई के लिए सबसे कठिन समय तब आया जब उनके खिलाफ एक पूर्व कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। वैसे वह सिर्फ अपने फैसलों से ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में दिए जाने वाले भाषणों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र न्यायाधीश और मुखर पत्रकार ही लोकतंत्र के लिए सुरक्षा का पहला कवच होते हैं।

भाग्य से अयोध्या पर पीठ में शामिल हुए थे जस्टिस अशोक भूषण

नई दिल्ली, प्रेट्र : जस्टिस अशोक भूषण भाग्य से अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा बने थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जजों ने पीठ में शामिल होने से इन्कार कर दिया था।

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर संविधान पीठ का हिस्सा तब बने थे जब जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस यूयू ललित ने मामले की राजनीतिक संवेदनशीलता के मद्देनजर इसका हिस्सा बनने से इन्कार कर दिया था। दोनों ही वरिष्ठतम न्यायाधीशों के भविष्य में प्रधान न्यायाधीश बनने की संभ

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से दशकों पुराने विवाद का पटाक्षेप हो गया है। उम्मीद है कि अब राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक हंगामा और संग्राम देखने को नहीं मिलेगा।

सर्वसम्मत फैसला

वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण पर आधारित है हिंदुओं की आस्था : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हिंदुओं का यह विश्वास कि अयोध्या ही भगवान राम की जन्मभूमि है, वह 'वाल्मीकि रामायण' और 'स्कंद पुराण' जैसी पवित्र पुस्तकों से आई है और उन्हें 'आधारहीन' नहीं मान सकते।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि धार्मिक पुस्तकों के 'श्लोकों' को गवाहों के रूप में पेश किया गया और हिंदू पक्षों ने इसे साक्ष्य के रूप में पेश किया। अपनी दलीलें इसी के आधार पर पेश कीं कि अयोध्या ही भगवान राम की जन्मभूमि है। यह श्लोक और धार्मिक पुस्तकें वर्ष 1528 के बहुत पहले से मौजूद हैं। माना जाता है कि मस्जिद इसी दौरान बनी थी। पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'धार्मिक पुस्तकें हिंदुत्व का मुख्य स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर हिंदू आस्था की नींव पड़ी। वाल्मीकि रामायण भगवान राम और उनके कार्यों को जानने का मुख्य स्रोत है...।' पीठ ने कहा कि वाल्मीकि रामायण ईसा पूर्व से पहले की कृति है और भगवान राम और उनके कार्यों को जानने का मुख्य स्रोत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वाल्मीकि रामायण के श्लोक ग्रहों की स्थिति के अनुसार भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने की बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण का 10वां श्लोक कहता है कि कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया जो दुनिया का भगवान है और उनके आने से अयोध्या धन्य हो गई। एक श्लोक के अनुसार, 'उनमें दैवीय लक्षण हैं। यह आम व्यक्ति का जन्म नहीं है। अयोध्या पूरी दुनिया के भगवान के आगमन से धन्य हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि अयोध्या कभी भी भगवान राम के जन्म के कारण पुण्यभूमि नहीं थी। जिरह के दौरान एक गवाह ने कहा कि पांचवां श्लोक 'राम जन्मभूमि' शब्द से शुरू होता है, यहां शहर शब्द का अर्थ पूरे शहर से है किसी खास जगह से नहीं है। यही बात सातवें श्लोक और चौथे श्लोक में भी कही गई है जहां अवधपुरी शब्द आता है। शीर्ष अदालत ने कहा, 'यह कहना गलत होगा कि सभी तीन श्लोकों में पुरी शब्द का अर्थ जन्मभूमि से है।' लेकिन, भगवान राम के जन्म से जुड़ी पुस्तकों और पुराणों में उनके जन्मस्थान की बहुत विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। हर जगह यही कहा गया है कि अयोध्या में महाराज दशरथ के महल में कौशल्या ने राम को जन्म दिया। अदालत ने गवाहों की यह बात भी सुनी कि राम जन्म की कथा स्कंद पुराण से भी आई है और यह पुस्तक आठवीं सदी की है।

12वीं सदी के हिंदू धार्मिक मूल की थी मस्जिद के नीचे मिली संरचना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की खोदाई से संकेत मिलता है कि अंदर जो संरचना थी वह 12वीं सदी के हिंदू धार्मिक मूल की थी। पीठ ने कहा कि बहुस्तरीय खोदाई के दौरान एक गोलाकार संरचना सामने आई जिसमें 'मकर प्रणाली' थी, जिससे संकेत मिलता है कि आठवीं से दसवीं सदी के बीच हिंदू वहां पूजा-पाठ करते थे। पीठ ने कहा कि एएसआइ की खोदाई से यह भी पता चला कि विवादित मस्जिद पहले से मौजूद किसी संरचना पर बनी है। पीठ ने कहा, 'मस्जिद का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ कि पहले से मौजूद ढांचे की दीवारों का इस्तेमाल कर स्वंतत्र नींव बनाने से बचा गया।' कोर्ट के अनुसार एएसआइ की अंतिम रिपोर्ट बताती है कि खोदाई के क्षेत्र से मिले साक्ष्य दर्शाते हैं कि वहां अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग सभ्यताएं रही हैं जो ईसा पूर्व दूसरी सदी से पहले 'उत्तरी काले चमकीले मृदभांड' तक जाती हैं। अदालत ने कहा, 'एएसआइ की खोदाई ने पहले से मौजूद 12वीं सदी की संरचना की मौजूदगी की पुष्टि की है। संरचना विशाल है और उसके 17 लाइनों में बने 85 खंभों से इसकी पुष्टि भी होती है।'

फैसले में विदेशियों के यात्रा वृतांतों का भी हवाला

फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच भारत आने वाले विदेशियों के यात्रा वृतांत का भी उल्लेख किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने जन्मभूमि से जुड़े इतिहास के भूले बिसरे तथ्यों का संतुलित विश्लेषण किया।

संविधान पीठ ने कहा कि यात्रा वृतांतों और गजेटियर से भूले बिसरे इतिहास की छोटी-छोटी जानकारियां प्राप्त हुईं। इन जानकारियों का उनके संदर्भ के मूल्यों के आधार पर सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया। पीठ ने जोसेफ टीफेंथलर, रॉबर्ट मोंटगोमरी मार्टिन, पी. कारनेजी, एडवर्ड थॉर्नटन और विलियम फिंच समेत अन्य कई लोगों के यात्रा वृतांत का हवाला दिया है। अदालत ने कहा कि लेखकों और भूगोलवेत्ताओं के यात्रा वृतांतों के अनुसार मौखिक और दस्तावेजी प्रमाण दर्शाते हैं कि भगवान राम के भक्तों में इस स्थल को लेकर गहरी आस्था थी, जिसे वे अपने देवता का जन्मस्थान मानते थे। जोसेफ टीफेंथलर ने अपनी पुस्तक में 1740 के बाद अपनी अयोध्या यात्रा के बारे में उल्लेख किया है। जोसेफ ने अपने यात्रा वृतांत में मंदिर को ध्वस्त करने और उसी स्थान पर मस्जिद के निर्माण का जिक्र किया है, जिसे हिंदू भगवान राम का जन्मस्थान मानते थे। जोसेफ ने पुस्तक में भगवान राम के जन्म के प्रतीक बेदी या पालना के साथ ही 'सीता रसोई' और 'स्वर्गद्वार' जैसे धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया है। उसने धार्मिक आयोजनों का भी उल्लेख किया है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू श्रद्धालु वहां पूजा अर्चना के लिए आते थे। पीठ ने एंग्लो आयरिश लेखक रॉबर्ट मोंटगोमरी मार्टिन की 'हिस्ट्री, एंटीक्विटिज, टोपोग्रैफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया' नामक पुस्तक के संदर्भों का भी हवाला दिया है। मार्टिन ने अपनी इस पुस्तक में मंदिर को ध्वस्त करने और मस्जिद के निर्माण का उल्लेख किया है। पीठ ने कहा कि मार्टिन ने अपनी किताब में विवादित ढांचे के काले पत्थरों से बने खंभों का भी जिक्र किया है। पुस्तक के अनुसार इन खंभों को हिंदू मंदिरों से लाया गया था। इसी तरह अन्य लेखकों ने भी अपनी पुस्तकों में मंदिर को गिराकर विवादित ढांचे का निर्माण कराने का स्पष्ट उल्लेख किया है।

खत्म होगी छह दिसंबर की सालाना कटुता की परंपरा

- छह दिसंबर 1992 के बाद हर साल शौर्य दिवस बनाम काला दिवस को लेकर छिड़ता रहा है सियासी संग्राम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आए फैसले ने इस विवाद को लेकर हर साल 6 दिसंबर को होने वाले सियासी संग्राम को भी अब लगभग विराम दे दिया है। खासकर संसद में इस मुद्दे पर हर 6 दिसंबर को लेकर दिखने वाली कटुता और हंगामे का पटाक्षेप होना तय है।

दरअसल अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ध्वस्त होने के बाद से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अलावा राजनीतिक पार्टियों के बीच इस पर जमकर संग्राम चलता आ रहा है। हिंदू संगठन 6 दिसंबर के ढांचे विध्वंस की घटना को शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं जबकि बाबरी मस्जिद समर्थक इस दिन को पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाते हुए विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं।

अयोध्या विवाद पर दोनों पक्षों के इस संग्राम का असर संसद में भी लगभग हर साल 6 दिसंबर या इसके आस-पास की तारीख को नजर आता रहा है। एआइएमआइएम, मुस्लिम लीग, वामपंथी दलों के साथ कई विपक्षी पार्टियां ढांचा ढहाए जाने की घटना को देश के कानून और संविधान के खिलाफ बताते हुए निंदा करती रही हैं जबकि भाजपा और मंदिर आंदोलन की समर्थक पार्टियां इसे जन भावनाओं के स्वतः स्फूर्त प्रकटीकरण से जोड़ती रही हैं।

इस विरोधाभासी रुख को लेकर ही संसद से सड़क तक दोनों खेमों में हर वर्ष ढांचा विध्वंस की बरसी के मौके पर होने वाला कटु संग्राम -जैसे परंपरा बन गई। संसद के दोनों सदनों में भी बीते कई सालों में 6 दिसंबर को काला दिवस बनाम शौर्य दिवस के बहाने अयोध्या विवाद पर चर्चा भी हो चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में देकर कानूनी रूप से दूसरे पक्ष को विवाद से दूर कर दिया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सालाना कटुता के इस संग्राम का भी अब अंत हो जाएगा।

देश के लिए नया सवेरा : मोदी

सैकड़ों साल पुराना विवाद खत्म, अब मिलकर राष्ट्रनिर्माण में जुटने की बारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि यह फैसला देश के लिए नया सवेरा लेकर आया है। इसमें किसी तरह के भय, कटुता और नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से सैकड़ों साल पुराना विवाद खत्म हो गया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस विवाद को भूलकर अब हमें राष्ट्र निर्माण में जुट जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का दिन है। सर्वसम्मति से लिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट की दृढ़ता और मजबूत इच्छाशक्ति दिखती है। नौ नवंबर को ऐतिहासिक दिन बताते हुए उन्होंने कहा कि इसी दिन जर्मनी की दीवार गिरी थी और दो विरोधी धाराएं एक हुईं थीं। नौ नवंबर को ही करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हुई है।

जोड़ने, जुड़ने और मिलकर जीने का दिन : प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन हमें एक साथ रहने की सीख दे रहा है। यह लोगों को जोड़ने, जुड़ने और मिलकर जीने का दिन है। उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका में स्वर्णिम अध्याय का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सबको धैर्य से सुना।

देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर चलने की अपील की ● एएनआइ

कटुता को भुलाकर साथ आना होगा: प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि इन सारी बातों को लेकर कभी कोई कटुता रही होगी तो उसे भी तिलांजलि देने का दिन है। विविधता में एकता के प्राण तत्व को समझने के लिए आज की घटना का उल्लेख जरूरी होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है, लेकिन इसकी जीवंतता और मजबूती को शीर्ष अदालत के फैसले के बाद जिस तरह हर वर्ग व पंथ और समुदाय ने स्वीकार किया है, उससे समझा जा सकता है।

हर मसले का कानून के दायरे में समाधान : प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल भी कानून के दायरे में आता है। हमें इससे सीख मिलती है कि समय भले लगे, लेकिन मसले के हल के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। संविधान, न्यायिक प्रणाली और परंपरा पर हमारा विश्वास अडिग रहना जरूरी है।

नई पीढ़ी न्यू इंडिया की शुरुआत करे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन अब यह संकल्प लेना जरूरी है कि नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया की शुरुआत करेगी। हम नए भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें कोई पीछे छूटना नहीं चाहिए। सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिससे हर नागरिक पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी बढ़ गई है। न्यायिक प्रक्रिया व नियमों के सम्मान का दायित्व भी बढ़ गया है।

न कोई हारा, न कोई जीता

कर्तव्य को प्राथमिकता देने की बात पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति, सद्भाव और विकास के लिए यह बहुत जरूरी है। साथ मिलकर चलने से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पीएम मोदी ने सभी को ईद की मुबारकबाद भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला आने के तत्काल बाद ट्वीट कर कहा 'इसमें न किसी की जीत है और न ही किसी की हार।'

संविधान पीठ ने की वकीलों की सराहना

- अधिवक्ताओं की विद्वता और निष्पक्षता को प्रशंसनीय बताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले में सभी पक्षों के वकीलों की जमकर तारीफ की। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से बहस करने वाले 92 वर्षीय पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन, वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की उनके योगदान के लिए प्रशंसा की। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन्होंने मामले की जटिलता की परतों को खोलने में एक गहरी समझ प्रदान की और अदालत को फैसले तक पहुंचने में मदद की।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इन वकीलों की विद्वता, उनकी मेहनत, दृष्टि और इन सबसे ऊपर अदालत के अधिकारियों के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में निष्पक्षता की प्रशंसा की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा, 'हम के. परासरन और डॉ. राजीव धवन और बहस करने वाले अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी ने सुनवाई को पूरा करने में मदद की और इसी भावना के साथ सभी पक्ष आखिरकार सच्चाई और न्याय की खोज में लगे रहे।' पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर शामिल थे। पीठ ने सीएस वैद्यनाथन, एसके जैन, रंजीत कुमार, जफरयाब जिलानी, मीनाक्षी अरोड़ा, शेखर नफाड़े, विकास सिंह और पीएस नरसिम्हा सहित अन्य वरिष्ठ वकीलों की भी सराहना की।

चीफ जस्टिस की अगुआई में डिनर

नई दिल्ली, आइएएनएस : देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई शनिवार की रात इस फैसले में शामिल संविधान पीठ के अन्य चार जजों के साथ दिल्ली स्थित ताज मानसिंह होटल में डिनर करने गए। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई चाहते थे कि वह अपने सहयोगियों (नामित मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस एसए नजीर) के साथ फुरसत के कुछ पल बिताएं। इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने समूची संविधान पीठ के साथ एक शानदार डिनर की योजना बनाई।

फैसले से देश जीता, नए युग की हुई शुरुआत

त्वरित टिप्पणी
प्रशांत मिश्र

अयोध्या पर बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया है। संतुलित और सबकी भावनाओं को समाहित करने वाला फैसला, जिसने हर किसी के साथ न्याय किया और देश की भावना को पूरा किया। सही मायने में यह फैसला ऐसा मील का पत्थर है जो देश की दिशा तय करेगा। यह एक ऐसा फैसला है जिसमें केवल देश जीता है, किसी की जीत या हार नहीं हुई। इस फैसले को स्वीकार कर घर के अंदर और पड़ोस में छिपे दुश्मनों को भी सही संदेश दे दिया गया है। ऐतिहासिक अयोध्या फैसले की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह 5-0 से आया है।

बहुत छोटे फैसले भी मतभिन्नता के शिकार होते हैं और यह तो देश का सबसे पुराना और चर्चित केस था। यह उदाहरण है कि लोग अब विवादों से आगे बढ़ना चाहते हैं। सही मायने में देखें तो इस फैसले को देश के सभी दलों और समुदायों ने जिस तरह एकजुट होकर स्वीकार किया है वह एक नए युग की शुरुआत जैसी लगती है। वरना इस तरह के फैसले के बाद पहले आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो जाता था और देश में माहौल खराब होने लगता था। अपने-अपने लाभ-हानि के हिसाब से राजनीतिक दल खेमों में बंट जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी की अनर्गल बयानबाजी को मुस्लिम नेताओं ने ही खारिज कर दिया। यह एक शुभ संकेत है। इतने पुराने विवाद को इस तरह शांति से हल होते देखना सचमुच में न्यू इंडिया की झलक देता है। खुद प्रधानमंत्री ने नई सोच की बात की तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आंदोलन संघ का काम नहीं है। अयोध्या आंदोलन में तो संघ अपवाद के रूप में जुड़ गया था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिस तरह भारत के लिए नासूर बनी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा रहा है, वह देखने लायक है। इनमें वे समस्याएं शामिल हैं, जिनके बारे में लोग मान बैठे थे कि इनका हल संभव नहीं है। अनुच्छेद-370 को हटाने के बाद राममंदिर विवाद उसमें शामिल है। अब यूं तो आरोप यह लगता रहा था कि भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है, लेकिन क्या कोई इसे झुठला सकता है कि भाजपा पर यह आरोप लगाकर विपक्षी दल राजनीति ही किया करते थे। भाजपा पर ऐसे आरोप तब भी लगे जब वह अयोध्या विवाद के समाधान में देरी होती देख न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने लगी। विपक्षी उस पर ऐसे भी कटाक्ष करने लगे थे कि आखिर अब वह राम मंदिर की बात क्यों नहीं करती? अब स्थिति यह है कि जन दबाव में ही सही, कांग्रेस ही नहीं वाम दल भी फैसले का स्वागत कर रहे हैं।

इतने पुराने विवाद को शांति से हल होते देखना 'न्यू इंडिया' की झलकू ● एपी

शनिवार को पाकिस्तान स्थित करतारपुर का रास्ता भी खुल गया। सिख भाइयों की वर्षों की आस पूरी हुई। जहां राम मंदिर निर्माण का शांतिपूर्ण रास्ता निकल गया वहीं यह भी साफ हो गया कि अयोध्या में पांच एकड़ भूमि में शायद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी। पूरे देश को इकट्ठे होकर इन तीनों का जश्न मनाना चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद से चली आ रही नगा समस्या भी समाप्त होने के कगार पर है और अलग संविधान व अलग झंडे की मांग के बगैर नगा अलगाववादी समझौते के लिए राजी हैं। पूर्वोत्तर में शांति बहाली की यह बड़ी पहल है। सभी जानते हैं कि यदि 130 करोड़ लोग आपसी रंजिश और मतभेदों को भूल एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में जुटें तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। यह जज्बा बरकरार रखना होगा। इस पूरे प्रकरण में जहां शांति व्यवस्था की पूरी मुस्तैदी के लिए केंद्र और राज्यों के प्रशासन की पीठ थपथपाई जानी चाहिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी जिसने यह साबित कर दिखाया है कि वह केवल न्याय के साथ है।

एक पखवाड़े से सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर

जयप्रकाश रंजन ● नई दिल्ली

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में जिस तरह से पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, वे भी कम ऐतिहासिक नहीं हैं। केंद्र सरकार के भीतर बेहद उच्च स्तर पर न सिर्फ घरेलू सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रबंध किए गए बल्कि इसे सख्ती से लागू किया जाए इसकी भी गारंटी की जा रही है। देश में हिंदू-मुस्लिम फसादों के लिए संवेदनशील माने जाने वाले शहरों व स्थलों की विशेष निगरानी से लेकर सोशल मीडिया पर भी खास सतर्कता बरती जा रही है।

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सिर्फ प्रशासन के स्तर पर ही मुस्तैदी नहीं बढ़ाई गई बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि देश के हर कोने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही देशवासियों के भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी यह संदेश दे दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जीत या हार के तौर पर नहीं लेना है। सरकार से विमर्श के बाद आरएसएस की ओर से विश्वास बहाली की कोशिश की गई। वरिष्ठ नेताओं ने फैसला आने से ठीक एक हफ्ते पहले शुक्रवार को भाजपा के मुस्लिम नेताओं से अलग से बैठक की। राजग सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को इस काम में लगाया कि वह देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा करें और प्रबुद्ध मुस्लिम नेताओं के साथ विचार-विमर्श करें। इस क्रम में नकवी ने दिल्ली, मुंबई व केरल में खासतौर पर मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनका इसी बात पर जोर रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो उसे सभी वर्गों की तरफ से स्वीकार किया जाना चाहिए। शहनवाज हुसैन, शाजिया इल्मी जैसे नेताओं को भी अलग-अलग क्षेत्रों में संपर्क अभियान में लगाया गया।

पिछले सप्ताह से देश के आइबी व अन्य सतर्कता एजेंसियों के बीच संपर्क बढ़ा दिया गया था और हर सूचना को एक-दूसरे से साझा किया जा रहा था।

आधे-अधूरे और भड़काऊ कार्यक्रमों से परहेज करे मीडिया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को मीडिया को लेकर एक और एडवाइजरी जारी की। इसमें अयोध्या विवाद या अयोध्या पर फैसले को लेकर किसी भी तरह के आधे-अधूरे सच और भड़काऊ कार्यक्रम नहीं दिखाने की हिदायत दी गई है। टीवी चैनलों और निजी केबल ऑपरेटरों से इसका खास ध्यान रखने को कहा गया है।

दलीलों का हिस्सा बने कई किताबों के अंश

नई दिल्ली, जेएनएन : राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई पुस्तकों का भी जिक्र हुआ। इनमें ब्रिटिश इतिहासकार हंस टी. बेकर की 'अयोध्या' और सेवानिवृत्त आइपीएस किशोर कुणाल की 'अयोध्या रीविजिटेड' का नाम प्रमुखता से सामने आया।

बेकर ने अपनी किताब में सातवीं सदी ईसापूर्व से 18वीं सदी के मध्य तक का लेखाजोखा प्रस्तुत किया है। किताब में 'अयोध्या माहात्म्य' और 'अगस्त्य संहिता' के संदर्भ भी रखे गए हैं। बेकर एक सांस्कृतिक इतिहासकार हैं और भारत को लेकर उन्होंने विशेष अध्ययन किया है। फिलहाल वह ब्रिटिश म्यूजियम पर आधारित प्रोजेक्ट 'बियॉन्ड बाउंड्रीज : रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज एंड द स्टेट' पर काम कर रहे हैं। इसकी फंडिंग यूरोपियन रिसर्च काउंसिल द्वारा की गई है। 2014 में ब्रिटिश म्यूजियम से जुड़ने से पहले बेकर नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजेन में कार्यरत थे। यहां वह इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के डायरेक्टर थे। चौथी, पांचवीं और छठी सदी में भारत की राजनीति-धार्मिक संस्कृति बेकर के शोधकार्यों का अहम विषय रही है। उन्होंने नेपाल में संरक्षित 'स्कंद पुराण' का अध्ययन भी किया है। 'स्कंद पुराण' का यह संस्करण भारत में उपलब्ध 'स्कंद पुराण' के संस्करण से काफी अलग है।

सेवानिवृत्त आइपीएस किशोर कुणाल की किताब 'अयोध्या रीविजिटेड' में विवादित स्थान पर राममंदिर होने की बात कही गई है। उन्होंने हंस बेकर का कोट भी दिया है। इसके अलावा किताब में एक नक्शा भी है। ब्रिटिश काल की पुरानी फाइलों, संस्कृत में लिखे प्राचीन तथ्यों और पुरातत्व से मिले प्रमाणों को आधार बनाकर उन्होंने 20 साल के शोध के बाद किताब लिखी थी। उनकी किताब में यह दावा भी है कि बाबर कभी अयोध्या नहीं गया था। बाबर को क्लीनचिट देते हुए उन्होंने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। उन्होंने 'बाबरनामा' का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें मंदिर तोड़े जाने या मस्जिद बनाए जाने का जिक्र नहीं है। किशोर कुणाल की किताब उस समय चर्चा में आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने किताब में दिया नक्श पेश किया। नक्शे को मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने पांचों जजों के सामने ही फाड़ दिया था। दलीलों के दौरान 'बाबरनामा' का भी जिक्र आया। इसके अलावा 'स्कंद पुराण' और 'अयोध्या माहात्म्य' जैसे शास्त्रों व ग्रंथों के हवाले से भी दलीलें रखी गईं।

जिंदगी भर लड़ा मुकदमा पर न टूटी दोस्ती की डोर

रामचंद्रदास परमहंस और हाशिम अंसारी ● फाइल फोटो

रमाशरण अवस्थी ● अयोध्या

सबसे बड़े विवाद के दो विपरीत ध्रुव रहे दिवंगत रामचंद्रदास परमहंस और हाशिम अंसारी की दोस्ती की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। यही दोनों शख्स पहली बार मुकदमा दायर करने कचहरी गए। दशकों तक मुकदमा लड़ा, पर उनकी दोस्ती हिमालय की तरह अडिग रही। जब भी कचहरी जाते, एक ही रिक्शे अथवा तांगे का इस्तेमाल करते।

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने शनिवार को जिस ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला सुनाया, उसे 22-23 दिसंबर, 1949 को विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति प्रकट होने के बाद हाशिम अंसारी ही फैजाबाद कोर्ट लेकर गए थे। उनके खिलाफ हिंदू पक्ष के पैरोकार दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्रदास परमहंस थे। लेकिन इनके आपसी रिश्ते में कभी तल्खी नहीं आई। परमहंस के पास जब कार हो गई थी, तब भी वह हाशिम को साथ लिए बिना कचहरी नहीं गए। अदालत की तीखी बहस उनकी दोस्ती को कभी विचलित नहीं करती थी। अयोध्या से जुड़े लेखक संतोष तिवारी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि महंत रामचंद्रदास परमहंस की मौत की खबर हाशिम अंसारी को अंदर तक हिला गई।

अयोध्या फैसला बौद्धिक परिपक्वता का दुर्लभ मेल : तुषार मेहता

नई दिल्ली, प्रेट्र : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वागत किया है। इस फैसले को मेहता ने बौद्धिक परिपक्वता का दुर्लभ संयोजन करार दिया है। उन्होंने कहा, 'यह कई मायने में ऐतिहासिक फैसला है। इस सदी की सबसे पुरानी कानूनी लड़ाई को सर्वसम्मति से सुलझाने के लिए पांचों जज प्रशंसा के पात्र हैं।'

मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत के इस ऐतिहासिक निर्णय और इसके लिए अपनाई गई न्यायिक प्रक्रिया से देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है कि उनके अधिकार न्यायपालिका के हाथों में सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, 'यह निर्णय, मामले के जटिल तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सर्वसम्मति से न्यायिक कौशल को व्यक्त करता है।'

विदेश मंत्रालय ने राजनयिकों को अयोध्या फैसले के बारे में बताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में रूस, फ्रांस और ईरान समेत कई देशों के राजनयिकों को जानकारी दी। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और खाड़ी समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों के राजनयिकों को जानकारी दी गई है।

सूत्रों ने बताया कि फैसला आने के बाद मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न देशों के दूतावासों के शीर्ष राजनयिकों को इसके बारे में बताया। कुछ राजनयिक महत्वपूर्ण रणनीतिक देश और भारत के करीबी सहयोगी देशों को विदेश सचिव विजय गोखले ने आमने-सामने जानकारी दी।

राजनयिक कॉर्प के डीन और डोमिनिकन गणराज्य के राजदूत हंस डैन्नेनबर्ग कैस्टेलेनोस ने कहा, 'निश्चित रूप से यह भारत का आंतरिक मामला है फिर भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से संवाद किया है, हम उसकी सराहना करते हैं। हमें सूचित किया और फैसले की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की पूरी व्याख्या की।' अगस्त में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों और कुछ देशों के बारे में अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के बारे में बताया था।

हाल ही में देखा गया है कि भारत सरकार सभी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में मित्र देशों को भी अवगत कराती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत सरकार ने इसे अपनी नीति का हिस्सा बना रखा है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखते हुए इस तरह के कदम निसंदेह किसी भी राष्ट्र के लिए विदेश मामले का अहम हिस्सा रहते हैं। मित्र देशों के साथ-साथ अन्य देशों को भरोसे में लेकर चलना वैश्विक राजनीति के बदलते हालातों में महत्वपूर्ण कदम होता है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

आ गया सबसे बड़ा फैसला

फैसला और राजनीति

सुप्रीम फैसले के बाद देश की राजनीति के पूरी तरह बदलने की संभावना है। भाजपा के लिए अयोध्या मुद्दा तो प्रमुख एजेंडा रहा ही है, अन्य विपक्षी दल भी अपनी-अपनी तरह से इस पर जोर देते रहे हैं।

नेताओं का नजरिया

इस निर्णय से सिर्फ भारत की विजय हुई है। सौहार्द से साथ में रहने की हमारी भावना की जीत हुई है। भेदभाव हमारी साझा ऊर्जा और क्षमताओं का क्षय करता है। हमारी इस महान भूमि में सभी को समाहित करने की क्षमता है, सभी के लिए सम्मान है।

एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति

इस फैसले को सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य रूप में देखते हुए इसका पालन किया जाना चाहिए। पंच परमेश्वर का आदेश मानकर इसे सभी लोग स्वीकार करें। इस फैसले का अनुपालन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

मुरली मनोहर जोशी, भाजपा नेता

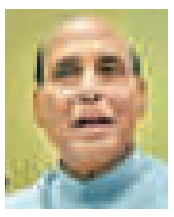

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भारत के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेगा। मैं हर किसी से अपील करता हूं कि वह फैसले को समभाव और उदारता से लें। मैं लोगों से शांति और सामंजस्य बनाए रखने की भी अपील करता हूं।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को नमन करती है, जिन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तानेबाने को बरकरार रखा। अदालत के फैसले से साफ संदेश गया है कि हम एकजुट हैं और देश में लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत हैं। संतुष्टि है कि राम मंदिर का मुद्दा राजग के शासन में सुलझाया गया।

जेपी नड्डा, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष

उच्चतम न्यायालय ने एक बेहद स्पष्ट और सर्वसम्मत फैसला किया है। एकमत से दिए गए इस फैसले में सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान किया गया। इससे उस विवाद का हल हो गया जो सदियों से अटका हुआ था। समूचा राष्ट्र इस फैसले का सम्मान करता है।

रामविलास पासवान, लोजपा नेता

हम सभी को इसे तहेदिल से स्वीकार और सम्मान करना चाहिए। अपने मुल्क की एकता, सौहार्द, भाईचारे की ताकत को मजबूत करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस न्यायिक फैसले को हार के हाहाकार और जीत के जुनूनी जश्न से बचाना चाहिए।

मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री

इस घड़ी में अशोक सिंहल को याद किया जाए। सरकार को उनके लिए फौरन भारत रत्न की घोषणा करनी चाहिए। जब भगवान राम चाहते थे, तभी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई जा रही है।

सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा नेता

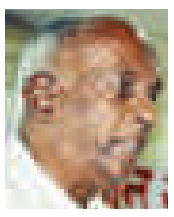

आंदोलन के नेतृत्व का सबसे ज्यादा श्रेय एलके आडवाणी और अशोक सिंहल को जाता है। हमें सामाजिक सद्भाव बनाए रखना चाहिए, जिससे देश राम मंदिर से राम राज की ओर आगे बढ़े।

केएन गोविंदाचार्य, पूर्व संघ विचारक

हमें दुनिया के सामने एकता की नजीर पेश करनी चाहिए। हिंदू भाइयों को मस्जिद के निर्माण में मुस्लिम भाइयों की मदद करके एक नजीर पेश करनी चाहिए। ऐसा कोई जश्न न मनाया जाए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो।

रामदेव, योग गुरु

मैं बहुत आनंदित हूं। इतना बड़ा परिश्रम, इतना बड़ा तप, प्रभु राम की कृपा से ही ये क्षण संभव हो पाया। मैं इस संघर्ष की साक्षी भी रही हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ।

साध्वी ऋतंभरा

अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती भाजपा

आशुतोष झा ● नई दिल्ली

क्या भाजपा का स्वर्णिम युग आ गया है..? बेशक हां। दरअसल, राम मंदिर निर्माण की सर्वस्वीकार्य राह बनते ही भाजपा ने अपने उन तीन सबसे अहम एजेंडों को लगभग पूरा कर लिया जिसके कारण पार्टी लंबे समय तक देश की राजनीति में अस्पृश्य भी मानी जाती थी और कहीं न कहीं उन्हीं तीन मुद्दों के अधूरा रहने के कारण भाजपा कई बार अपनों के निशाने पर भी रही। लेकिन यह सच है कि इन्हीं तीन मुद्दों के कारण पार्टी दो से लेकर 303 तक की यात्रा भी पूरी कर सकी है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह बड़ी उपलब्धि है कि महज सात महीने में कोर एजेंडा पूरा हो गया। पहले तीन तलाक के जरिए समान नागरिक संहिता की ओर कदम बढ़ा है और जिस तरह कोर्ट की ओर से सरकार को याद दिलाया जा रहा है उसमें मुमकिन है कि इस दिशा में ठोस कदम बढ़ें। वहीं अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर का औपचारिक रूप से भारत में विलय और अब कोर्ट के जरिए शांतिपूर्ण माहौल में राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा पूरी।

1980 में बनी भाजपा चार साल बाद पहला लोकसभा चुनाव लड़ी थी और दो सीट तक सीमित रह गई थी। उसके बाद कई चुनाव लड़ी लेकिन 1991 में राम मंदिर चुनाव घोषणापत्र में शामिल किया गया और भाजपा सौ के आंकड़े से ऊपर आ गई। 1996 में पहली बार भाजपा संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस चुनाव से लेकर 2019 तक लगातार राम मंदिर भाजपा के घोषणापत्र में शामिल ही नहीं रहा बल्कि चुनाव प्रचार में 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' जैसे नारे की धूम रही। हर घोषणापत्र में शब्दों का बदलाव होता रहा। घोषणापत्र में यह भी बताया गया कि राम मंदिर निर्माण की चाह न सिर्फ देश में है बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के दिलों में भी है और भाजपा इसके लिए हरसंभव रास्ते की तलाश करेगी।

भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथयात्रा भी निकाली और इसी बीच बाबरी मस्जिद ध्वंस भी हुआ। वह वाकया भाजपा के लिए थोड़ा असहज था और इसीलिए उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने मस्जिद ध्वंस को 'राष्ट्रीय शर्म' करार दिया था। लेकिन उसी स्थल को राम का जन्मस्थान मानते हुए राम मंदिर निर्माण की आकांक्षा में कभी कमी नहीं आई। भाजपा सीधे तौर पर तो आंदोलन से दूर रही लेकिन संघ परिवार ने इसे हमेशा गर्म रखा। अब वह एजेंडा पूरा होने को है। केंद्र सरकार को ही ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

इस एजेंडे के पूरा होते ही अब यह अटकल भी लगने लगी है कि क्या अब भाजपा का हिंदुत्व केंद्रित एजेंडा पूरा हो गया है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि अब शायद मथुरा और काशी का मुद्दा उभरेगा। हालांकि भाजपा नेतृत्व की ओर से साफ संकेत है कि उसके लिए फिलहाल यह एजेंडा नहीं है। ध्यान रहे कि राम मंदिर को लेकर भी भाजपा संवैधानिक दायरे की बात करती रही है। मथुरा और काशी में फिलहाल तो कानून से ही रोक है।

वैसे भी 2014 के बाद से भाजपा की राजनीति बदली है। सबका साथ, सबका विकास में अब सबका विश्वास भी जोड़ा गया है। सामाजिक विकास पर सरकार का जोर बढ़ा है वहीं पिछले सात महीने में कानूनी रास्ते से तीनों अहम एजेंडे को पूरा कर यह भी साफ कर दिया है कि उनके हर वादे पूरे होंगे।

स्वर्णिम काल के लिए हालांकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दूसरी शर्त रखी है। उनका कहना है कि जब भाजपा प्रतिनिधि हर राज्य और हर पंचातय में मौजूद होंगे तब वह काल आएगा लेकिन पिछले सात आठ महीनों में जिस तरह पार्टी ने सबसे दुरुह मसले को सुलझाकर सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मुद्दों पर ठोस कदम बढ़ाया है वह स्वर्णिम से कुछ कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों मुद्दों पर अब देश में एकजुटता है। भाजपा के सहयोगी दल ही नहीं विपक्ष के लिए भी अब राम मंदिर, कश्मीर और बहुत हद तक तीन तलाक विवादित मुद्दा नहीं रहा। यह भाजपा की विचारधारा और मुद्दे को सरल व कानूनी रूप से पेश करने की जीत मानी जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय

अब एनआरसी और सिटीजन एक्ट

नीलू रंजन ● नई दिल्ली

अब यह सवाल लाजिमी है कि अब भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे में क्या होगा। अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन यह मानकर चला जा सकता है कि भाजपा के लिए फिलहाल विकास से जुड़े अपने एजेंडे के अलावा घुसपैठियों से निपटने के लिए पूरे देश में एनआरसी लागू करने और नागरिकता कानून में संशोधनों पर ही केंद्रित रहेगी। दरअसल लंबे से समय से अयोध्या, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता भाजपा के राजनीतिक एजेंडे में अहम रहा है। विपक्ष दलों ने भले ही इन्हें सांप्रदायिक एजेंडा करार दिया हो, लेकिन भाजपा हमेशा इन्हें राष्ट्रवादी एजेंडे का हिस्सा बताती रही है। यहां तक कि सिटिजन एक्ट और एनआरसी को भी विपक्ष की ओर से सांप्रदायिक करार दिया जाता रहा है।

माना जा रहा है कि एनआरसी और नागरिकता कानून में संशोधन के मुद्दे भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने बार-बार साफ किया है कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होगी और एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में नागरिकता कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जा सकता है। जाहिर है विपक्ष दलों के लिए एनआरसी और नागरिकता कानून में प्रस्तावित संशोधनों का विरोध मजबूरी होगी। जाहिर है विपक्षी दलों का जितना मुखर विरोध होगा, भाजपा के लिए खुद को राष्ट्रवादी साबित करना उतना ही आसान होगा। वहीं अयोध्या में राममंदिर का निर्माण, कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और तीन तलाक पर कानून के साथ समान नागरिक संहिता को अंतिम परिणति तक पहुंचाने का श्रेय तो भाजपा के खाते में जाएगा ही।

देश की एकता, अखंडता और संस्कृति को मिलेगी मजबूती

- अमित शाह ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत
- केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, निर्णय को सहजता से करें स्वीकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि पर सर्वसम्मति से आया फैसला मील का पत्थर साबित होगा। गृह मंत्री के मुताबिक, यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री ने ट्विटर पर टिप्पणी करते हुए देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। शाह ने अपने ट्वीट में कहा, 'मैं सभी समुदायों और धर्म के लोगों से अपील करता हूं कि हम इस निर्णय को सहजता से स्वीकारते हुए शांति और सौहार्द से परिपूर्ण एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध रहें।'

अदालत के निर्णय का सम्मान करते हुए शाह ने कहा कि दशकों से चले आ रहे राम जन्मभूमि के इस कानूनी विवाद को आज के इस निर्णय से अंतिम रूप मिला है। उन्होंने ट्वीट किया है, 'मैं भारत की न्याय प्रणाली व सभी न्यायाधीशों का अभिनंदन करता हूं।' शाह ने इस विवाद का हल निकालने के लिए प्रयासरत सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है, 'श्री राम जन्मभूमि कानूनी विवाद के लिए प्रयासरत सभी संस्थाएं, पूरे देश का संत समाज और अनगिनत अज्ञात लोगों, जिन्होंने इतने वर्षों तक इसके लिए प्रयास किया, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।'

फैसले में अपनी उम्मीद भी देख रही कांग्रेस

संजय मिश्र ● नई दिल्ली

फैसले को कांग्रेस राजनीतिक रूप से अपने लिए राहतकारी मान रही है। पार्टी का मानना है कि मंदिर निर्माण के पक्ष में आए फैसले के बाद भावनाओं की सियासत का ज्वार थमेगा और ध्रुवीकरण की राजनीति की राह बंद होगी। कांग्रेस को इस बात की उम्मीद भी दिखने लगी है कि इससे देश में मध्यमार्गी राजनीति का दौर फिर से वापस लौटेगा। बीते करीब तीन दशकों से मंदिर और मंडल के ध्रुवीकरण में गुम हुई अपनी मध्यमार्गी सियासत के वापस लौटने की उम्मीद में कांग्रेस कार्यसमिति ने फैसले का सम्मान करने का एलान करने में देर नहीं लगाई। इतना ही नहीं पार्टी ने राम मंदिर निर्माण की खुलकर वकालत करने से भी गुरेज नहीं किया। अयोध्या विवाद को लेकर कांग्रेस हमेशा निशाने पर रही है। पार्टी में यह माना जाता है कि कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के लगे आरोपों के 'लेबल' की जड़ में यही विवाद था।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का हमेशा के लिए अंत करने के साथ ही कांग्रेस को भी ध्रुवीकरण के फंदे में फंसी राजनीति से बाहर निकलने का मौका दे दिया है। अयोध्या पर कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला का बयान कांग्रेस को इस फैसले से मिली राहत का साफ संकेत देता है। सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राम मंदिर निर्माण के द्वार खोल दिए हैं। साथ ही सत्ता की खातिर भगवान श्रीराम के नाम का इस्तेमाल करने वाली पार्टियों के लिए आस्था से राजनीति करने के द्वार भी बंद कर दिए हैं।

दरअसल, देश की राजनीति की धारा बदलने वाले दो सबसे बड़े सूबों में कांग्रेस के पराभव की असली वजह भी मंदिर और मंडल आंदोलन की भावनाओं की दोधारी तलवार रही। मंदिर आंदोलन ने भाजपा को राजनीतिक चरमोत्कर्ष दिया तो मंडल की सियासत ने मुलायम सिंह, लालू प्रसाद और मायावती सरीखे नेताओं को नई उंचाई। हालांकि बड़े क्षेत्रीय क्षत्रपों के तौर पर उभरे इन नेताओं की सियासत अब ढलान पर है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो इस मसले पर उसका जितना नुकसान होना था वह हो चुका है। अब उसे अपनी राजनीतिक जगह हासिल करने का बड़ा मौका मिला है। कांग्रेस का यह भी आकलन है कि अयोध्या के सहारे भाजपा जो चाहती थी वह हासिल कर चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी भावनाओं की सियासत बंद नहीं हुई तो देर-सबेर लोगों में इसकी उलट प्रतिक्रिया भी होगी।

पार्टी थिंक-टैंक के एक सदस्य ने कहा कि राम मंदिर, बालाकोट हमले, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने और तीन तलाक जैसे सभी हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद भी भाजपा मनचाहा परिणाम हासिल नहीं कर पाई। फैसले में कांग्रेस खुद पर अल्पसंख्यकवाद के लगे लेबल को हटाने का अवसर भी देख रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस को इस लेबल से हुए भारी राजनीतिक नुकसान का अहसास हो गया था। तभी से पार्टी ने नरम हिंदुत्व की लाइन पकड़ना शुरू कर दिया था।

राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण, शिवभक्त बताने से लेकर कई सूबों और लोकसभा चुनाव से पहले उनके कैलास मानसरोवर समेत तमाम मंदिरों में जाना इसी धारणा को तोड़ने की कोशिश थी। हालांकि, यह अलग बात रही कि कांग्रेस को आम चुनाव में इससे बहुत फायदा नहीं मिला।

सुप्रीम फैसले के बाद अयोध्या में अब बने राम मंदिर : कांग्रेस

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कहते हुए अयोध्या में राममंदिर निर्माण का समर्थन किया है। पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारण ईकाई कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस ने एलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वह राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। साथ ही पार्टी ने सभी पक्षों से संयम और भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए इस फैसले का सम्मान करने का अनुरोध किया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कार्यसमिति की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंत्रणा के बाद पार्टी ने राम मंदिर निर्माण का खुलकर समर्थन किया। कार्यसमिति की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण पर पार्टी का रुख पूछे जाने पर कहा कि ' हां, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है।' पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अयोध्या मंदिर का ताला खुलवाने के फैसले को देखते हुए क्या कांग्रेस मंदिर निर्माण का श्रेय लेगी?, सुरजेवाला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या विवाद का पटाक्षेप हो चुका है और इस मामले का श्रेय किसी व्यक्ति समूह या दल को देने का नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था और विश्वास का सम्मान किया है और उसके फैसले से राम मंदिर निर्माण के द्वार तो खुल ही गए हैं। साथ ही इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों के लिए देश की आस्था के सहारे राजनीति करने के द्वार भी हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि राम वचन की मर्यादा के लिए त्याग का प्रतीक हैं, भोग का नहीं।

फैसले के स्वागत के साथ माकपा ने उठाए कुछ सवाल

भाजपा समेत संघ परिवार पर लगातार निशाना साधने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी की पोलित ब्यूरो ने बयान जारी कर अयोध्या में ढांचा ढहाने वालों को सजा दिलाने की मांग भी दोहराई है। जारी बयान में शीर्ष अदालत के फैसले को एक ओर तो न्यायपूर्ण कहा गया है, वहीं उसके कुछ पहलुओं पर आपत्तियां व्यक्त करने की बात भी कही गई है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा 'मस्जिद ढहाने को लेकर चल रहे मुकदमे की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए, ताकि अपराधियों को दंडित किया जा सके।

कामयाब अभियान

आडवाणी ने बनाया था अयोध्या को जन आंदोलन

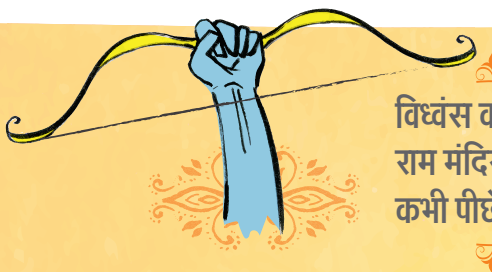

विध्वंस की निंदा तो की, लेकिन राम मंदिर निर्माण के संकल्प को कभी पीछे नहीं छूटने दिया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अयोध्या आंदोलन के सहारे राजनीति और भाजपा को नई धार देने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन पहले ही 92वां जन्मदिन मनाया। अयोध्या आंदोलन को राजनीति की धुरी बनाकर महज पांच साल में भाजपा को लोकसभा में दो सांसदों से 86 सांसदों की पार्टी बनाने वाले आडवाणी इसकी सफल परिणति के गवाह बने। जनसंघ की स्थापना के समय से ही जुड़े और भाजपा के संस्थापक सदस्य आडवाणी पर विवादित ढांचे के ध्वंस की साजिश रचने का आरोप भी लगा और इस मामले में सीबीआइ ने उनके खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल किया।

विहिप समेत संघ परिवार भले ही अयोध्या के लिए साधु-संतों व अन्य लोगों को जोड़ने में जुटा रहा हो, लेकिन आडवाणी ने अपनी रथयात्रा के सहारे इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया। 1990 में गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई उनकी रथयात्रा को बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया। लेकिन भाजपा 1991 के चुनाव में 120 सीटें जीतने में सफल रही।

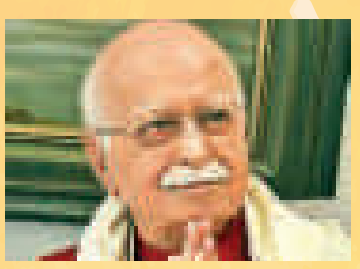

1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय आडवाणी खुद मंच पर उपस्थित थे, इसी कारण सीबीआइ ने आपराधिक साजिश में उन्हें आरोपित बनाया। बाबरी मस्जिद विध्वंस की निंदा करते हुए भी आडवाणी ने कभी राम मंदिर निर्माण के संकल्प को पीछे नहीं छूटने दिया, बल्कि इसे बाकायदा भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा बना दिया और 1996 में भाजपा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई।

भाजपा के असली संगठनकर्ता होने के बावजूद लालकृष्ण आडवाणी जानते थे कि उनकी कट्टर हिंदूवादी छवि के कारण पार्टी को संसद में सहयोगी जुटाना आसान नहीं होगा और पार्टी ने नरमपंथी अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आगे किया। लेकिन राजग सरकार में हमेशा नंबर दो पर रहे और बाद में उपप्रधानमंत्री भी बने। एक मंत्री के रूप में उनकी छवि कुशल और सख्त प्रशासक की रही और उन्हें लौह पुरुष तक कहा गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में लगे झटके और अटल बिहारी वाजपेयी की बिगड़ती सेहत को देखते हुए आडवाणी ने अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान में जाकर जिन्ना को सेकुलर बताना संघ को नागवार गुजरा और आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके खिलाफ पार्टी के अंदर ही विरोध फूट पड़ा था। इसके बावजूद वह पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत रखने और राजग के मुख्य सहयोगियों को एकजुट रखने में सफल रहे। पर यह सच है कि जब भी भाजपा की जीवन यात्रा का वर्णन होगा तो आडवाणी शीर्ष पुरुषों में शामिल रहेंगे।

अपनी-अपनी राय

प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सद्भाव का वातावरण बनाए रखने के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय विधि व्यवस्था की निष्पक्षता का सजीव प्रमाण है। सभी नागरिक इस फैसले को सहजता और सद्भाव के साथ स्वीकार करें।

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

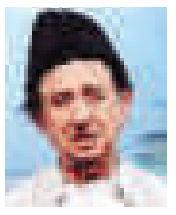

सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू-मुस्लिम दोनों के हक में है। कोर्ट ने हिंदू भाइयों को विवादित भूमि दी है तो मुस्लिम भाइयों को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन। मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और देश की आन, बान व शान का ख्याल रखें। फैसले के खिलाफ कोई बयान न दें।

मौलाना डॉ. कल्बे सादिक, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, कोर्ट ने उन्हें ही ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है। यदि बाबरी मस्जिद नहीं ढहाई जाती तो कोर्ट क्या फैसला देता। मुसलमान इतना गरीब नहीं है कि वह पांच एकड़ जमीन नहीं खरीद सकता।

असदुद्दीन ओवैसी, एआइएमआइएम अध्यक्ष

इस फैसले से देश की एकता और भाईचारा मजबूत होगा। मैं जफरयाब जिलानी की निंदा करता हूं। कुछ लोग खुद को प्रासंगिक और जिंदा रखने के लिए पुनर्विचार याचिका की बातें कर रहे हैं।

सैयद गयूरुल हसन रिजवी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

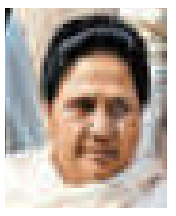

संविधान के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर आम सहमति से दिए गए ऐतिहासिक फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। अब इस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही आगे का काम होना चाहिए।

मायावती, बसपा प्रमुख

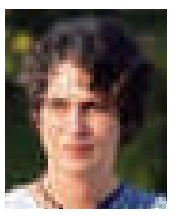

सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फ़ैसले का सम्मान करते हुए हमारी सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। हम सबको एक होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना होगा।

प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस महासचिव

देश के नागरिक के नाते मैं भी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का अभिनंदन कर रही हूं। देश में सभी समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है, हम भी उसके सुर में सुर मिलाएंगे।

उमा भारती, भाजपा नेता

सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। मैं और मेरी पार्टी अदालत के फैसले का सम्मान करती है। हमें उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठन इस फैसले का सम्मान करेंगे।

शरद पवार, राकांपा प्रमुख

फैसले को सभी पार्टियों को उदारता से स्वीकार करना चाहिए। अदालत का फैसला अंतिम है। इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए, जिससे समाज में अशांति फैले।

पी विजयन, मुख्यमंत्री, केरल

अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान है। हम भारतीय की जिम्मेदारी है कि हम सब देश की सदियों की पुरानी परस्पर सम्मान और एकता की संस्कृति व परंपरा को जीवंत रखें।

भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

अयोध्या लाइव

सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। लंबे अरसे से चल रहे विवाद का अब समाधान हो गया। खुशी की बात है कि फैसले का हर किसी ने सम्मान कर रामनगरी की गरिमा के अनुकूल आचरण प्रदर्शित किया है। यह फैसला अयोध्या के विकास का द्वार खोलेगा।

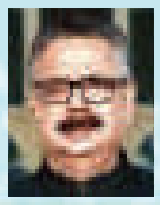

विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, राजा अयोध्या

कल-कल बहती सरयू किनारे सदियों बाद ऐतिहासिक आरती

रामनगरी में सरयू के किनारे शनिवार शाम को हुई आरती का नजारा कुछ अलग ही था। इस ऐतिहासिक आरती के हजारों भक्त गवाह बने • प्रेट्र

रघुवरशरण • अयोध्या

रामनगरी में सरयू के आधा दर्जन घाटों पर पुण्य सलिला की नित्य आरती होती है। शनिवार को भी इस परंपरा का पालन हुआ, मगर इसकी रौनक कुछ अलग थी। यह भरोसा पक्का होने के साथ कि जिन भगवान राम पर सरयू को नाज है, उनकी जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बनेगा।

फैसला सुबह आया। फैसले का इंतजार अयोध्या बड़ी बेसब्री से कर रही थी। पंचकोसी एवं 14 कोसी परिक्रमा के चलते पांच से आठ नवंबर तक श्रद्धालुओं से सरगर्म रहने वाला सरयू तट शनिवार को किंचित अलसाया होता है, किंतु शनिवार को ऐसा नहीं था। सरयू किनारे डेरा डाले पुरोहित देश के सबसे बड़े फैसले को लेकर अत्यंत उत्सुक थे। उनके पास टीवी तो नहीं है पर इक्का-दुक्का युवा पुरोहितों के पास स्मार्ट फोन होता है ओर वे इसी माध्यम से पल-पल की खबर सहेजने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही पलों में माहौल करवट बदलता है। इंतजार की बेसब्री फैसले से उपजे उत्साह में बयां होती है।

सरयू में स्नान कर लौट रहे बाराबंकी के बुजुर्ग रामसेवक वर्मा उस ओर कान लगाते हैं, जहां करतलिया बाबा आश्रम के महंत रामदास त्यागी सोशल मीडिया पर चल रही आदेश की एक-एक पंक्ति पढ़ कर सुना रहे होते हैं। सरयू की नित्य आरती करने वाले पुरोहित योगेंद्र पांडेय उस दौर को आज के आईने में ढालने की कोशिश करते हैं। भला हो शीर्ष अदालत का जिसने नियमित सुनवाई की। बगल ही बह रहीं सरयू इस संवाद को सुनती हुई आगे बढ़ रही होती हैं, जैसे वे युगों से अपने दामन में रामनगरी का अतीत समेटे हुई हैं।

आध्यात्मिक प्रताप के चलते हिमालय से उतरकर अयोध्या पहुंची सरयू

पुण्य सलिला सरयू भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु और राम के वंशियों के कुल गुरु वशिष्ठ के आध्यात्मिक प्रताप के चलते ही हिमालय से उतरकर रामनगरी तक पहुंचीं। पुण्य सलिला की नित्य आरती करने वाली संस्था आंजनेय सेवा संस्थान के अध्यक्ष महंत शशिकांतदास कहते हैं कि फैसले की खबर से मन प्रसन्न है।

मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी बोले-हम देंगे मस्जिद के लिए जमीन

जागरण संवाददाता, अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद के लिए जमीन देने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सामने आए हैं। इनमें एक तो खुद को मीर बाकी का रिश्तेदार बताते हैं। मीर बाकी के रिश्तेदार रजी हसन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी से स्वीकार करने का आह्वान किया है।

'जागरण' से बातचीत में उन्होंने कहा कि 'अब बातों का वक्त खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आ गया है। इस फैसले को सभी को शांति से स्वीकार करना चाहिए।' वह कहते हैं कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। इसलिए एक-एक शब्द नाप-तौल कर जुबान से निकालना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए यदि सरकार पहल करती है तो वह सहनवां में जमीन देने को तैयार हैं। उन्हीं की तरह एक निजी स्कूल के चेयरमैन डॉ. संजय तिवारी भी जमीन देने के लिए सामने आए हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निकट उनकी जमीन है। डॉ. तिवारी का कहना है कि यदि सरकार चाहे तो मस्जिद के लिए उनकी जमीन ले सकती है। इससे पहले सुलह के लिए हुई कोशिशों के दौरान भी इस तरह का प्रस्ताव आया था, दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी थी। खासकर निर्मोही अखाड़ा के साकेतवासी महंत भाष्करदास इसी तरह के प्रयासों से विवाद का समाधान चाहते थे, लेकिन तब बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत निर्देश जारी किया तो एक बार फिर अयोध्या के हिंदू व मुस्लिम दोनों ही पक्षों से जमीन देने की पहल हुई है। हालांकि, अभी यह भी देखना होगा कि सरकार इस मसले पर क्या कदम उठाती है। इसके बाद ही कुछ तय किया जाएगा।

वाह! इकबाल भाई...आप पर नाज करती है रामनगरी

कोटिया स्थित अपने आवास पर मो. इकबाल अंसारी • जागरण

रविप्रकाश श्रीवास्तव • अयोध्या

सुबह के दस बज रहे हैं। आधे घंटे बाद अयोध्या विवाद का ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। कोटिया मोहल्ले में रहने वाले बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी का घर सुरक्षा एवं मीडिया कर्मियों से घिरा हुआ है। घर का दरवाजा अभी बंद है। बाहर खड़े मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक यह कह कर रोकते हैं कि वह अभी खाना खा रहे हैं। थोड़ी देर में मुलाकात हो सकती है। कुछ मीडियाकर्मी इकबाल के सुरक्षाकर्मियों के साथ बैठ कर उनके घर के बाहरी हिस्से में टीवी पर फैसले का अपडेट निहार कर अपनी-अपनी राय देने में जुटे हैं। आधे से ज्यादा फैसले का रुझान आ चुका है। अब जरूरत है, इस विवाद से जुड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत इकबाल अंसारी के बयान की। मीडिया कर्मियों की उत्सुकता उनका बयान लेने के लिए बढ़ती जा रही ...। एक मीडियाकर्मी बोल पड़ता है...इकबाल भाई बाहर आइए...। दस बजकर 50 मिनट पर सिर पर लाल टोपी लगाए वह बाहर आते हैं...। लो...इकबाल भाई आ गए...। मीडिया कर्मियों का हुजूम उन्हें घेर लेता है। अंगरक्षक मीडिया कर्मियों को हटाने की मशक्कत करते हुए इकबाल को एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। इकबाल कहते हैं कि सभी से बात करूंगा, धक्का-मुक्की न करो...। मीडिया कर्मियों के कैमरे चमकने लगते हैं। इकबाल के घर के बाहर आम लोगों की भी काफी भीड़ है। लोग इकबाल की बात सुनने के लिए आतुर हैं। आखिर इस मुद्दे पर वह क्या बोलते हैं। यकीन मानिये, इकबाल ने जो बोला उसे लेकर रामनगरी सदियों तक उनका शुक्रिया अदा करेगी। अपने वालिद मरहूम हाशिम अंसारी की तरह ही इकबाल ने भी देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए रामनगरी का दिल जीत लिया। इकबाल ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट हैं। अब इसको लेकर कहीं दावेदारी नहीं करेंगे। इकबाल का एक-एक शब्द देश की न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था की इबारत लिख रहा था। इकबाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। फैसले को लेकर इकबाल ने दोनों पक्षों से शांति बनाने की अपील की तो पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। मंदिर-मस्जिद विवाद के पटाक्षेप की घड़ी में कोटिया मुहल्ले से शांति-सद्भाव का जो पैगाम मिला, उसे सुन कर मानों रामनगरी कह रही हो कि इकबाल भाई आप पर नाज है।

मर्यादा का पाठ पढ़ाती अयोध्या

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हर तरफ दिखी खुशी, किसी ने भी नहीं लांघी सीमा

राजीव दीक्षित • अयोध्या

साकेत बिहारी की दुलारी अवधपुरी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही हर्षित हो उठी। दशकों से संचित और सिंचित अभिलाषा जब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद साकार हुई तो उसने अयोध्या को खुशी के स्पंदन का अहसास कराया। वहीं, रामलला के मंदिर का मार्ग प्रशस्त होने से विभोर अयोध्या ने हर्ष प्रकट करने से परहेज करते हुए संयम का परिचय दिया। अलबत्ता, शीर्ष अदालत के निर्णय से अभिभूत रामनगरी का उत्साह बीच-बीच में अपनी झलक दिखा रहा था।

समय सुबह 11.10 बजे, मणिराम दास जी की छावनी की पहली मंजिल पर संतों से खचाखच भरे कक्ष में चौकी पर बैठे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की निगाहें सामने दीवार पर लगे टेलीविजन पर लगी हैं। टीवी स्क्रीन पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला फ्लैश हुआ, कक्ष करतल ध्वनि से गूंज उठता है। कई संत महंत नृत्य गोपाल दास का चरण स्पर्श कर शीर्ष अदालत का फैसला रामलला के पक्ष में आने पर उन्हें बधाई देते हैं। फैसले से मुदित महंत हाथ उठाकर संतों को आशीर्वाद देते हैं और कोर्ट के निर्णय का अभिनंदन करते हैं। कुछ ही क्षणों में तिवारी मंदिर के महंत गिरीश पति त्रिपाठी नृत्य गोपाल दास को बधाई देने पहुंचते हैं। छोटी छावनी के द्वार पर भाव विभोर संत उनसे खुशी साझा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शनिवार को अयोध्या में एक-दूसरे को मिठाई खिलाते लोग • प्रेट्र

हनुमानगढ़ी तिराहे से चंद कदमों की दूरी पर उत्साही संत और स्थानीय दुकानदार सड़क पर आगंतुकों को लड्डू बांटते दिखे। मकानों की दीवारों के बीच पटाखों की गूंज भी सुनाई दी, लेकिन पुलिसकर्मियों के फौरन हरकत में आते ही फिर कुछ पलों का सियापा छा गया।

हनुमानगढ़ी के पास शास्त्री नगर बाजार की कई दुकानें खुली थीं तो कई बंद। रामनगरी का शृंगार करने वाले शृंगार हाट की दुकानों के शटर भी गिरे थे। बर्तन दुकानदार ओम बोले, बंदी रजामंदी से है, क्योंकि मार्केट में ग्राहक नहीं हैं और लोग आज घरों में टीवी से चिपके हैं। अयोध्या को बैरिकेडिंग में जकड़े जाने का असर भी दिखा। हनुमानगढ़ी तिराहे पर मीडिया से घिरे मंडलायुक्त मनोज मिश्र यह बता रहे हैं कि अयोध्या में जनजीवन सामान्य है। अलबत्ता, ट्रैफिक की बंदिशों की वजह से लोगों को कुछ असुविधा जरूर हो रही है। चंद कदमों की दूरी पर उनकी यह स्वीकारोक्ति सच साबित हुई जब गोरखपुर से आयीं कुसुम तिवारी सड़क किनारे ड्यूटी दे रहे सिपाहियों से मिन्नतें करते दिखीं कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, किसी वाहन चालक से कहिए कि मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दे।

संतों ने किया फैसले का स्वागत

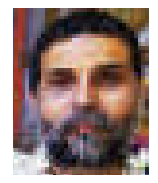

यह फैसला ऐतिहासिक है और राम भक्त इसे युगों तक याद रखेंगे।

-विंदुगद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य, बड़ा स्थान, अयोध्या

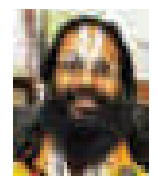

हम ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इसके लिए भगवान श्रीराम और माननीय न्यायाधीशों को सलाम।

-मिथिला बिहारी दास, चित्रकूट आश्रम, अयोध्या

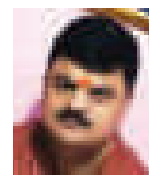

जिस संसदीय और संवैधानिक परंपरा से इस जटिल विवाद का हल होना चाहिए था, उस पर अमल होते देखना अत्यंत सुखद है।

-महंत गिरीश पति त्रिपाठी, तिवारी मंदिर, अयोध्या

हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बहुत आभारी हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था का पालन कराने वाले शासन-प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आभार।

-ज्ञानी गुरुजीत सिंह, मुख्य ग्रंथी, गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड, अयोध्या

आखिरकार वह घड़ी आ गई, जिसकी राम भक्त सदियों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस अवसर की प्रसन्नता अवर्णनीय है।

-जगदगुरु रामदिनेशाचार्य, हरिधाम पीठ, अयोध्या

हम भक्तों के लिए यह अत्यंत अपमानजनक था कि रामलला टेंट में रहें। अब नए युग का आगाज हुआ है। रामलला अपनी गरिमा के अनुरूप पूरी भव्यता से विराजेंगे।

-महंत रामदास, नाका हनुमानगढ़ी अयोध्या

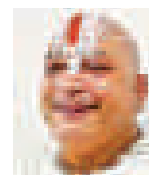

मेरे पास इस अवसर की प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। हम इस अवसर पर पूर्वजों को आंसुओं के साथ श्रद्धांजलि देंगे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्योछावर किए।

-राजकुमार दास अधिकारी, श्रीराम वल्लभाकुंज, अयोध्या

आज भगवान राम के प्रति हमारी आस्था और बलवती हो उठी। भगवान राम ने संभवत : उन भक्तों की पुकार सुनी, जिन्होंने मंदिर के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया।

-महंत रामचंद्र दास, निष्काम सेवा ट्रस्ट, वासुदेव घाट, अयोध्या

फैसला जानने को हर कोई उत्सुक

रघुवरशरण • अयोध्या

नई सुबह

- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जानने के लिए लोग सुबह से थे आतुर
- इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पल-पल की खबर पर थी नजर

सोशल मीडिया के दौर में रामनगरी पहले ही यह जान गई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शनिवार की प्रथम बेला तक ही आ जाएगा। शनिवार को लोग नित्य क्रिया से जल्द उबर कर इलेक्ट्रानिक मीडिया की ओर उन्मुख हुए। ...तो ऐसे भी स्थानीय लोग थे, जो कड़े सुरक्षा प्रबंधों और मीडिया की चहल-पहल में शामिल होकर ऐतिहासिक दिन का हिस्सेदार बनने लगे। 10:30 बजते-बजते चरम पर पहुंची प्रतीक्षा परिणाम जानने को बेसब्र होने लगी। इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से लोग एक-एक पल पर निगाह गड़ा कर बैठे थे।

मुख्य न्यायाधीश पीठ के चार अन्य न्यायाधीशों के साथ जो फैसला सुना रहे थे, उसकी एक-एक पंक्ति पूरे देश के साथ ही रामनगरी तक भी पहुंच रही थी। दोपहर दस्तक दे चली है। उत्सुकता के अनुरूप मौसम का मिजाज भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के हिसाब से गर्म है। जिन रामलला के हक में फैसला आया है, कोर्ट में उनके सखा त्रिलोकीनाथ पांडेय टीवी से चिपके होते हैं। घड़ी की सुइयां 11 बजे की ओर बढ़ रही हैं। स्क्रीन पर फैसले की इबारत एक-एक कर पेश हो रही है। कुछ ही पलों में कोर्ट का फैसला आता है। कुछ लोग बेहद खुश होते हैं, लेकिन स्वयं पांडेय पूरी तरह संयत होते हैं और फैसले पर प्रतिक्रिया देने में भी वह संयम बरतते हैं। वह बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहते हैं कि यह हिंदुओं या मुस्लिमों की नहीं, पूरे भारत की जीत है। देश के प्रत्येक नागरिक की जीत है। यह प्रत्येक देशभक्त की जीत है। कारसेवकपुरम के कुछ ही फासले पर मणिरामदास जी की छावनी पर भी 491 वर्ष पुराने विवाद से आजाद होने की संतुष्टि बयां होती है।

रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास अपने कक्ष में चुनिंदा सहयोगियों के साथ टीवी पर फैसला सुन रहे होते हैं। फैसला आते ही धीर-गंभीर नृत्यगोपालदास भी एक पल को खिलखिला पड़ते हैं और कहते हैं, यह सत्य की जीत है। शनिवार को राम मंदिर के लिए तराशे जा रहे पत्थरों को देखने वाले श्रद्धालु तो कम होते हैं पर मीडिया के लिए यह स्थल किसी तीर्थ से कम नहीं होता।

फैसले का स्वागत और सौहार्द की वकालत के साथ लोग खुश होते हैं। इनमें सांसद लल्लू सिंह से लेकर मंदिर के लिए वर्षों से अभियान चला रहे बब्लू खान, सौहार्द का स्वर साधने वाले मित्रमंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा और दशरथगद्दी के महंत बृजमोहनदास जैसों की नुमाइंदगी होती है।

यहां स्थित अवध विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य केके मिश्र मध्याह्न रामलला का दर्शन तो नहीं कर पाते पर रामलला के प्रिय दूत हनुमानजी का दर्शन कर ही खुशी-खुशी लौट रहे होते हैं। इस दौरान वह कहते हैं, फैसला मेरे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए स्वागत योग्य है।

जलाए दीप....

अयोध्या में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शाम को हनुमानगढ़ी के पास शृंगार हाट में दीप जलाते युवा। हृदेश चंदेल

पल-पल बदलती रही हाजी के चेहरे की रंगत

अपने आवास पर बैठे बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब • जागरण

प्रहलाद तिवारी • अयोध्या

सुबह के ठीक दस बजे हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब के आवास के सामने पुलिस कर्मियों व अफसरों का जमावड़ा लगा है। टेढ़ी बाजार चौराहे से उनके आवास को जाने वाला रास्ता बैरीकेडिंग लगा कर बंद कर दिया गया है। परिचय पत्र दिखाने के बाद ही पैदल लोगों को उस ओर जाने की अनुमति मिल रही है। आवास का दरवाजा बंद है। बताया जाता है कि हाजी साहब कहीं बाहर गए हैं। हाजी साहब एक जनाजे में शामिल होकर ठीक साढ़े दस बजे वापस आते हैं। गेट खुलता है। सुरक्षा कर्मियों संग वाहन समेत वह सीधे अंदर चले जाते हैं। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा दरवाजे पर लगा है। लगभग आधे घंटे बाद हाजी की अनुमति लेकर सुरक्षाकर्मी मीडिया को अंदर बुलाते हैं। हाजी मोबाइल पर फैसला सुन रहे हैं। फैसला ज्यों-ज्यों आता जा रहा था, हाजी के चेहरे की रंगत पल-पल बदल रही थी।

हाजी के बगल में बैठा एक युवक फैसले के बावत कुछ बोलता है तो उसे चुप रहने का आदेश देते हुए पूरी एकाग्रता से फैसले को सुनते हैं। पहले कुछ भी बोलने से इन्कार करते हैं। कुरेदने पर बोले, अदालत का निर्णय सिर आंखों पर। कोर्ट ने जो फैसला दिया, ठीक दिया। इस पर एतराज नहीं। पांच एकड़ जमीन के बावत सवाल पर हाजी महबूब ने कहा कि यह अलग बात है कि हम कुबूल करें या नहीं। निर्मोही अखाड़े को कुछ नहीं मिलने पर हाजी आश्चर्य जताते हुए रुक जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि जनता से सद्भाव की अपील करता हूं। सवाल निराशा को लेकर होता है तो तपाक से बोले कि कोई निराशा का भाव नहीं। फिर वह बरामदे से उठ कर सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। लगभग साढ़े 12 बज गए। अचानक पुलिस व प्रशासन का लंबा काफिला लेकर हाजी महबूब के दरवाजे पर डीएम अनुज झा व एसएसपी आशीष तिवारी पहुंचते हैं। सभी को बाहर कर बंद कमरे में अफसरद्वय ने हाजी से बातचीत शुरू की। दस मिनट बाद हाजी के आवास से अफसर निकले। अफसरों ने कुछ बताने से इन्कार कर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष के भाव नजर आए।

किसने क्या कहा

यह फैसला देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, रूल ऑफ लॉ और प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी

हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वर्षों पुराना विवाद आज खत्म हुआ। लोग शांति एवं सौहार्द बनाए रखें।

-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आपस में हर्ष और उल्लास बनाए रखें।

-हंसराज हंस, सूफी गायक व सांसद

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश के लोग सम्मान के साथ स्वीकार करें। अयोध्या मसले को लेकर आगे किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए।

- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फैसले का सम्मान करते हुए हमारी सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए।

-दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मप्र

अयोध्या जन्मभूमि मामले में ये थे 13 पक्षकार

जेएनएन, नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सबसे संवेदनशील मामले में शनिवार को फैसला सुनाकर मामले का पटाक्षेप कर दिया। आइए जानें इस मामले में कौन-कौन था पक्षकार।

गोपाल सिंह विशारद : मंदिर विवाद पर सबसे पहले सन् 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने ही फैजाबाद कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने 'स्थान जन्मभूमि' में आराध्य की पूजा-अर्चना के लिए अनुमति मांगी थी। वर्ष 1986 में मृत्यु के बाद उनके बेटे राजेंद्र सिंह मामले में उनका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

निर्मोही अखाड़ा : इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले में विवादित जमीन के तीन में एक हिस्सा पाने वाला निर्मोही अखाड़ा भी था। अखाड़ा ने 1885 से विवादित स्थल पर अपना दावा बताया है। तब के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के प्रशासन पर केस किया था। हालांकि कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया। तब उसने फिर से दिसंबर 1959 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में मालिकाना हक के लिए मुकदमा किया।

देवकी नंदन अग्रवाल : इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल ने एक जुलाई, 1989 को हाईकोर्ट में राम लला के 'सखा' के रूप में याचिका दायर की थी। कोर्ट से राम लला का सखा नियुक्त होने के बाद अग्रवाल ने राम जन्मभूमि व जन्मस्थान के 'देवता' की ओर से केस दायर किया था। आठ अप्रैल, 2002 को अग्रवाल के निधन के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टीपी वर्मा को सखा नियुक्त किया गया। 2010 में वर्मा के इस पद से रिटायर होने के बाद से त्रिलोकी नाथ पांडेय ने सखा के पद को संभाला।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा : अयोध्या मामले के मुख्य वादाकारों में से एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हाईकोर्ट के फैसले को 2010 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। महासभा जन्मभूमि के किसी भी बंटवारे के खिलाफ थी।

अखिल भारतीय श्रीराम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति :मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर मुकदमे में बचाव पक्ष में से एक समिति ने हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को अगस्त, 2011 में अपील की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मुख्य वाद में शामिल कर लिया था।

एम. सिद्दीकी : इस मामले के मूल वादी और उत्तर प्रदेश में जमीयत-उल-उलेमा-ए-हिंद के महासचिव थे। सिद्दीकी की मौत के बाद जमीयत के मौलाना अशद राशिदी याचिकाकर्ता बन गए। उनकी ओर से दायर याचिका अयोध्या केस टाइटल सूट बन गई।

हाजी मिसबहुद्दीन : फैजाबाद निवासी हाजी मिसबहुद्दीन उन चंद लोगों में से थे,जिन्होंने हिंदू पक्षकारों की ओर से दायर मामले में बतौर बचाव पक्ष अपील की थी। उनसे पहले उनके दादा शहाबुद्दीन व पिता जियाउद्दीन ने मुकदमा लड़ा था।

हाजी फेंकू : वह शुरुआती चरण में उन पांच स्थानीय मुस्लिम में से एक थे जिन्होंने बतौर बचाव पक्ष केस लड़ा। 1960 में उनके निधन के बाद उनके बेटे हाजी महबूब अहमद उनकी जगह नए पक्षकार बन गए।

फारूक अहमद : इस मामले में फारूक अहमद भी पुराने वादाकारों में से एक हैं। उनका निधन दिसंबर, 2014 में होने के बाद उनके छोटे बेटे मुहम्मद उमर ने उनका स्थान लिया।

शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ : शिया वक्फ बोर्ड का कहना था कि मस्जिद बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी जो शिया मुस्लिम था। अतः मस्जिद पर उसका हक बनता है। 1946 में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने तब मस्जिद को सुन्नी संपत्ति बताया था।

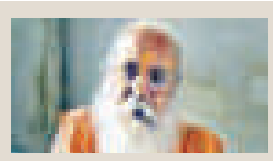

महंत सुरेश दास

दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने भी सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल में पूजा की अनुमति मांगी थी। 1950 में अखाड़े के तत्कालीन महंत परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद पर अधिकार के लिए 1961 में फैजाबाद की दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया। उन्होंने विवादित स्थल पर अपने कब्जे का दावा करते हुए मस्जिद परिसर से मूर्तियों को हटाने की मांग की थी।

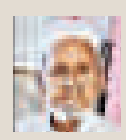

मुहम्मद हाशिम अंसारी

हाशिम अंसारी वर्ष 1949 से बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े थे। भगवान राम की प्रतिमाएं वहां रखे जाने के वक्त उन्हें कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दायर अयोध्या टाइटल सूट में उन्हें अन्य छह लोगों के साथ शामिल कर लिया गया। 2016 में हाशिम के निधन के बाद उनके बेटे इकबाल मुख्य वादाकार बन गए।

अयोध्या के नायक

राम जन्मभूमि आंदोलन में ऐसे कई नाम हुए, जिन्होंने इसे न केवल देश के कोने-कोने तक पहुंचाया, बल्कि इसके लिए अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। इनमें से कई आज इस ऐतिहासिक फैसले को देख रहे हैं, जबकि कई इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए हमारे बीच नहीं हैं।

अयोध्या मामले को अंजाम तक पहुंचाने में न जाने कितने लोगों ने अपने-अपने स्तर पर योगदान दिया है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने एक सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। आइए जानते हैं ऐसी ही तीन शख्सियतों के बारे में जो राम मंदिर बनवाने का संकल्प लेकर जिए और अब इस मामले पर सबसे बड़ा फैसला देखने-सुनने के लिए हमारे बीच नहीं हैं...

एक तिकड़ी, जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा

अशोक सिंहल : आंदोलन के मुख्य शिल्पी

अशोक सिंहल मंदिर आंदोलन के मुख्य शिल्पी थे। इसके पीछे उनके प्रभावी संस्कार, संगठन एवं संवाद की अपूर्व सामर्थ्य थी। आगरा में जन्मे सिंहल के पिता सरकारी कर्मचारी थे। 1942 में किशोरावस्था के ही दौरान वे आरएसएस से जुड़ कर देश और समाज की सेवा की ओर उन्मुख हुए। 1950 में बीएचयू से धातु इंजीनियरिंग में स्नातक सिंहल ने जीवन को आरएसएस के प्रति समर्पित किया। संघ ने उन्हें विराट हिंदू सम्मेलनों का दायित्व सौंपा। इस भूमिका में वे पहले से ही अपना लोहा मनवा चुके थे। हालांकि उनका श्रेष्ठतम आना बाकी था और यह 1984 में मंदिर आंदोलन के साथ बयान हुआ। कुछ ही वर्षों में यदि मंदिर आंदोलन परवान चढ़ा तो सिंहल के नेतृत्व का डंका भी बजा। मंदिर आंदोलन 1989 से 92 तक चरम के उस दौर से गुजरा, जब सिंहल के आह्वान पर लाखों मंदिर समर्थक बराबर जुटते रहे। हालांकि ढांचा ध्वंस के बाद मंदिर निर्माण की लंबी होती प्रतीक्षा के चलते मंदिर आंदोलन का ताप कम पड़ गया, पर सिंहल पूरी गंभीरता से अपने प्रयास में लगे रहे। उनके लिए राममंदिर और राष्ट्रमंदिर एक ही सिक्के के दो पहलू थे और उनकी हर पहल पर इस अवधारणा की छाप थी। विहिप में उनके नायब माने जाने वाले डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने धुर हिंदुत्व के नाम पर नरेंद्र मोदी की आलोचना शुरू की तो सिंहल ने उनसे भी दूरी बना ली और सिंहल के मुंह मोड़ने की वजह से ही वह दिन भी आ गया जब तोगड़िया की विहिप से छुट्टी हो गई। मंदिर निर्माण का स्वप्न संजोए सिंहल 17 नवंबर 2015 को चिरनिद्रा में लीन हो गए। विहिप के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं, काश आज सिंहल जी होते। उन्होंने रामजन्मभूमि मुक्ति का जो स्वप्न देखा उसे चंद वर्षों में करोड़ों रामभक्तों की जेहन में स्थापित हो गया और आज यह स्वप्न साकार हुआ है।

परमहंस : मंदिर आंदोलन के चेहरा बने

मंदिर-मस्जिद विवाद एक युग की तरह है। इसे पात्र गढ़ते रहे और यह पात्रों को गढ़ता रहा। रामचंद्रदास परमहंस इस सच्चाई-समीकरण के पर्याय हैं। छपरा जिला के भगेरन तिवारी का युवा बेटा चंद्रेश्वर अपनी यायावरी के चलते 1930 में अयोध्या आया और यहीं का होकर रह गया। यहीं के गुरु परमहंस रामकिंकरदास ने दीक्षा के साथ नया नाम भी दिया। चंद्रेश्वर अब रामचंद्रदास हो गए थे। जल्दी ही उनका साबका उस स्थल से पड़ा, जिसे श्रद्धालु रामजन्मभूमि मानते थे और दूसरा पक्ष उसे मस्जिद कहता था। युवा परमहंस के लिए यह असहनीय था कि उनके आराध्य भव्य मंदिर में न विराजें। छह दिसंबर 1992 से पूर्व 1934 में भी विवादित ढांचे को क्षति पहुंचाई गई थी और इस मुहिम में परमहंस भी शामिल थे।

हालांकि तब परमहंस की उनकी उपाधि पक्की नहीं हुई थी। आयुर्वेदाचार्य की डिग्री लेकर अयोध्या आए रामचंद्रदास को परमहंस उपाधिधारी होने में कुछ वर्ष लग गए। हरफनमौला परमहंस जितने प्रखर शास्त्र एवं साधना के तल पर थे, उतने ही प्रखर सामाजिक दायित्वों के प्रति भी थे। उनकी पहचान लोगों के सहायक के साथ सभा-समारोहों के शानदार वक्ता की बनी। ...और गुरु परंपरा से प्रसाद स्वरूप मिली परमहंस की उपाधि समाज में भी स्वीकृत-शिरोधार्य हुई। 1949 में रामलला के प्राकट्य तक वे परिपक्व हो चले थे और इस दौरान उन्होंने पूरी परिपक्वता का परिचय भी दिया। प्राकट्य के साथ रामलला की उसी स्थल पर सलामती के लिए परमहंस दृढ़ नायक की तरह सामने आए। पांच दिसंबर 1950 को स्थानीय कोर्ट में वाद दायर कर भी रामलला के पूजन एवं दर्शन का अधिकार मांगा। 1984 में मंदिर की दावेदारी को जनांदोलन का रूप देने के लिए आगे आई विहिप की भी वे पहली पसंद बने और कुछ ही दिनों में मंदिर आंदोलन का चेहरा बनकर स्थापित हुए। नई दिल्ली की जिस धर्मसंसद में गठित रामजन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति संघर्ष का प्रस्ताव पारित किया, उसकी अध्यक्षता रामचंद्रदास परमहंस ने ही की थी। 1990 में परमहंस ने गोलियों की बौछार की परवाह किए बगैर कारसेवकों को बचाने का प्रयास कर स्नेहिल संरक्षक की पहचान पुख्ता की। रामजन्मभूमि न्यास अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के साथ उनका कद और व्यापक हुआ। विवादित ढांचा ध्वंस के एक दशक बाद जब विहिप नेतृत्व के सामने मंदिर निर्माण से जुड़ी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव बढ़ा तब परमहंस पुनः संकटमोचक बनकर आगे आए। 94 वर्ष की उम्र में मंदिर निर्माण शुरू न हो पाने की स्थिति में आत्महत्या का एलान किया। परमहंस जैसे दिग्गज के सामने दबाव में आई तत्कालीन केंद्र सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या सेल के प्रभारी एवं वरिष्ठ आइएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को परमहंस को मनाने के लिए विशेष दूत के रूप में भेजा गया। परमहंस दृढ़ तो थे, पर अड़ियल नहीं थे। उन्होंने शत्रुघ्न सिंह को शिलादान कर यह संदेश दिया कि विहिप मंदिर निर्माण के प्रयास में लगी है। हालांकि वे इन प्रयासों को फलीभूत होते नहीं देख सके। 31 जुलाई 2003 को परमहंस ने अंतिम श्वांस ली।

अवेद्यनाथ : त्रिमूर्ति के अहम घटक

गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ मंदिर आंदोलन की त्रिमूर्ति के अहम घटक थे। मंदिर आंदोलन उन्हें विरासत में मिला था। वे जिन दिग्विजयनाथ के शिष्य थे, उनकी गणना हिंदुत्व के दिग्गज पुरोधा के रूप में होती रही। गुरु की अंगुली पकड़कर साधना के साथ सामाजिक सरोकारों का पाठ पढ़ने वाले अवेद्यनाथ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 में गुरु के साकेतवास के बाद उनके कंधों पर गोरक्षपीठ की गद्दी संभालने और हिंदू महासभा से जुड़ी सियासत के साथ

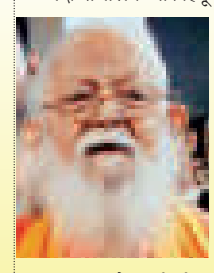

हिंदुत्व का शंखनाद जारी रखने की जिम्मेदारी आ पड़ी। वे इसके लिए बखूबी तैयार भी थे। वे तब तक गोरखपुर जिले की मानीराम विधानसभा सीट से तीन बार विधायक चुने जा चुके थे और गोरक्षपीठाधीश्वर बनने के अगले ही साल यानी 1970 में गोरखपुर सीट से सांसद चुने गए। 1984 में मंदिर आंदोलन के नेतृत्व के लिए वे आंदोलन के शिल्पियों के लिए सटीक किरदार थे। उन्हें मंदिर आंदोलन के लिए गठित राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का सर्वसम्मत से प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 1989 में वे दूसरी बार गोरखपुर लोस क्षेत्र से सांसद चुने गए और इस दायित्व के साथ उन्होंने लोकसभा में भी मंदिर की आवाज बुलंद की। 1991 के चुनाव में हिंदू महासभा से त्यागपत्र देकर भाजपा के टिकट पर गोरखपुर से तीसरी बार चुने गए। 1996 में चौथी बार सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत शिष्य एवं उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। 12 सितंबर, 2014 को मंदिर आंदोलन की कामयाबी का स्वप्न लिए वे 94 वर्ष की अवस्था में चिरनिद्रा में लीन हो गए।

...जिन्होंने लिखी भाजपा के 'कल्याण' की कथा

जितेंद्र शर्मा ● लखनऊ

कानूनी चुनौतियों से जूझते यदि प्रभु राम का विजय-रथ अपनी ही अयोध्या में पहुंचा है तो इतिहास के वे पन्ने भी सामने आने लगे हैं, जिनमें लंबे सफर के सारथियों के परिश्रम दर्ज हैं। इनमें प्रमुख नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी है। अयोध्या आंदोलन में सत्ता का परित्याग कर उन्होंने न केवल अपने राजनीतिक भविष्य का नया रास्ता बनाया, बल्कि सूबे में भाजपा के कल्याण की कहानी भी लिखनी शुरू की।

कल्याण सिंह

अयोध्या आंदोलन से राजनीतिक पहचान बनाने वाले भाजपा नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ऐसे हैं, जिन्होंने छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस के बाद अपनी सत्ता को त्याग दिया था। साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले वह एकमात्र शख्स हैं। पांच जनवरी, 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे कल्याण सिंह की पहचान शुरू से ही हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता की रही है।

30 अक्टूबर, 1990 को मुलायम सिंह यादव उप्र के मुख्यमंत्री रहते कारसेवकों पर गोली चलवा दी थी। मुलायम सिंह पर मुस्लिमपरस्ती की छाप लगी, तो भाजपा ने अपने एजेंडे पर काम शुरू किया और कल्याण सिंह को आगे कर दिया। इसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे। एक वर्ष में उन्होंने भाजपा को प्रदेश में उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने वर्ष 1991 में अपने दम पर सरकार बना ली। कल्याण सिंह प्रदेश में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद कल्याण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए शपथ ली। सरकार के कार्यकाल को एक साल भी नहीं गुजरा था कि छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में कारसेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया।

विनय कटियार : राम मंदिर आंदोलन ने दिलाई पहचान

वह नाम जिसे राम मंदिर आंदोलन ने पहचान दी। विनय कटियार का जन्म 11 नवंबर, 1954 को कानपुर में हुआ। बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उनकी छवि प्रखर वक्ता और फायर ब्रांड नेता के रूप में रही। भाषणों ने अलग पहचान दी। देखते ही देखते विनय कटियार बजरंगी की उर्फियत से मशहूर हो गए। अपनी छवि के दम पर उन्होंने फैजाबाद संसदीय सीट से तीन बार जीत हासिल की। वर्ष 1991, 96 व 99 में वह लोकसभा चुनाव में दमदार तरीके से जीते। विनय कटियार वर्ष 2002-04 तक प्रदेश अध्यक्ष, फिर दो बार राष्ट्रीय महासचिव और एक बार उपाध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 2006 और 2012 में वह राज्यसभा सदस्य बने।

मोरोपंत पिंगले : जिन्होंने राम मंदिर निर्माण आंदोलन को बनाया देशव्यापी

अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की संकल्पना के शिल्पकार के रूप में मोरोपंत पिंगले का प्रमुख किरदार रहा। इस आंदोलन को उन्होंने न सिर्फ देशव्यापी बनाने की दिशा दी, बल्कि रामशिलाओं के जरिये इसे घर-घर तक पहुंचाया। मोरोपंत महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे। उन्होंने रणनीति के तहत प्रस्तावित मंदिर के लिए तीन लाख ईंटें देश के हर गांव में पूजित कराईं। फिर गांव से तहसील तथा इसके बाद जिला एवं राज्य मुख्यालय होते हुए ये ईंटें अयोध्या लाई गईं। इस दौरान आंदोलन न सिर्फ सर्वस्पर्शी बना, बल्कि इसकी व्यापकता भी बढ़ी। शिलापूजन के दौरान देश भर के तकरीबन छह करोड़ लोगों की भावनाएं सीधे मंदिर आंदोलन से जुड़ीं। जैसे-जैसे गांवों में पिंगले के नेतृत्व में शिलाओं का पूजन होता गया, राममंदिर आंदोलन व इसके निर्माण की भावनाएं भी प्रगाढ़ होती चली गईं।

मोरोपंत पिंगले

शिलापूजन, शिलान्यास, चरण पादुका, राम ज्योति यात्राएं, ये सब पिंगले की रणनीति व चिंतन की उपज थीं। इतना कुछ होने के बावजूद पिंगले हमेशा पर्दे के पीछे थिंक टैंक के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे। आरएसएस के पहले सरसंघ चालक डॉ. हेडगेवार के निकट रह कर पिंगले ने सांगठनिक गुणों को आत्मसात किया और उन्हें जमीनी स्तर पर उतारा। उन्होंने सरसंघ चालक से यह भी सीखा कि संगठन को कैसे विस्तार दिया जाता है। इसके सूत्र कैसे प्रतिपादित किए जाते हैं।

ओंकार भावे : कई मोर्चों पर नेतृत्व क्षमता की अमिट छाप छोड़ी

ओंकार भावे विहिप के कोर ग्रुप के शीर्ष नेताओं में थे। अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए आंदोलन में उन्होंने न सिर्फ बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि कई मोर्चों पर नेतृत्व क्षमता की अमिट छाप भी छोड़ी। वे विहिप के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। इस पद पर कार्य करते हुए भावे ने अपनी सांगठनिक कुशलता को कई बार प्रतिष्ठित किया। समय-समय पर उन्होंने विहिप के रचनात्मक आंदोलन व प्रमुख कार्यों को संपादित करते हुए उन्होंने राममंदिर आंदोलन को देशभर में धार दी। इसे लेकर कई बार देश व्यापी प्रवास भी किया। मंदिर आंदोलन के पहले भावे ने देश में आपातकाल के दौरान संघर्ष किया। ओंकार भावे की गिनती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारकों में होती थी।

ओंकार भावे

भावे का जन्म आजमगढ़ में 1924 में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई प्रयाग विश्वविद्यालय से की। यहीं से लॉ की डिग्री हासिल की। वे बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। 1945 में संघ के प्रचारक के रूप में पारी शुरू की। प्रचारक बनने के बाद उन्होंने संघ में कई अहम दायित्वों का निर्वहन किया। पहले जिला प्रचारक, फिर विभाग प्रचारक और प्रांत प्रचारक रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शारीरिक प्रमुख की जिम्मेदारी निभाई। 1995 में वे विहिप के संयुक्त महामंत्री बनाए गए। 2009 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीमारी की वजह से 23 जुलाई को 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली।

गिरिराज किशोर : देश ही नहीं विदेश में भी स्थापित किया संगठन

आचार्य गिरिराज किशोर मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा थे। आचार्य गिरिराज किशोर ने विश्व हिंदू परिषद में कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वे श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन के समय से परिषद से जुड़े थे। गिरिराज किशोर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में भी कार्य किया। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन जैसे-जैसे आगे बढ़ा, वे प्रमुख चेहरे के रूप में पहचाने गए। प्रचारक के नाते मैनपुरी, आगरा, भरतपुर, धौलपुर में भी कार्य किया। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगने पर वे मैनपुरी, आगरा, बरेली तथा बनारस की जेल में 13 महीने तक बंद रहे। छूटने के बाद संघ के कार्य के साथ आचार्य ने स्नातक इतिहास, हिंदी व राजनीति शास्त्र से किया। फिर एमए की पढ़ाई पूरी की। 1949 से 58 तक वे उन्नाव, आगरा, जालौन तथा उड़ीसा में प्रचारक रहे। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। संगठन मंत्री भी बने। उन्होंने दिल्ली में रह कर परिषद को मजबूत किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आपातकाल में वे 15 महीने भरतपुर, जोधपुर और जयपुर जेल में रहे। वे विहिप के कार्य से इंग्लैंड, हालैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, रूस, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, मारिशस, मोरक्को, गुयाना, नैरोबी, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, जापान, थाइलैंड भी गए। आचार्य गिरिराज किशोर का निधन 94 वर्ष की आयु में 2014 में हुआ।

आचार्य गिरिराज

मुकदमे के महत्वपूर्ण शिल्पी

रमाशरण अवस्थी ● अयोध्या

न्यायमूर्ति देवकीनंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान को पक्षकार बनाने की याचना की थी। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद न्यायमूर्ति देवकीनंदन अग्रवाल और वकील गोपाल सिंह विशारद इस मुकदमे के महत्वपूर्ण शिल्पी साबित हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज अग्रवाल ने रामलला (नाबालिग) के निकट मित्र के रूप में मुकदमा दायर कर रामलला विराजमान को पक्षकार बनाने की याचना की थी। कानूनविद् अग्रवाल ने मंदिर में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को जीवित इकाई बताते हुए उनकी ओर से मुकदमा लड़ने के लिए स्वयं को अधिकृत माना था। इसी के बाद न्यायालय ने रामलला का मुकदमा लड़ने के लिए अग्रवाल को रामलला के अभिन्न सखा के रूप में मान्यता दी थी। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी रामलला विराजमान (मूर्ति) को एक व्यक्ति माना है। अग्रवाल ने रामलला विराजमान की ओर से एक जुलाई 1989 को मुकदमा दायर किया था।

न्यायमूर्ति देवकीनंदन

नारियों की शक्ति ने दी आंदोलन को धार

...अगुआ त्रिमूर्ति...

मुकेश पांडेय ● अयोध्या

खास पलों का गवाह बनकर इतरा रहे वर्तमान की नींव इतिहास के बिना रखा जाना संभव नहीं था। यही कारण है कि यादों के झरोखों से लेकर अगुआई के वे पैरोकार, हर पात्र, पल-पात्र जहन में ताजा हो गए, जिन्होंने मंदिर आंदोलन को धार दी और अगुआ बने। एक से बढ़कर एक नाम हैं, लेकिन नारी शक्ति के सहयोग के बिना यह मुकाम पाना संभव नहीं था। जिस वक्त आधी आबादी अधिकारों के लिए जूझ रही थी, उसी दौरान उन्हीं के बीच से निकली कुछ महिलाओं ने मंदिर जैसे कठिन आंदोलन की राह पकड़ ली। वह चाहे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यपरिषद में मंदिर के लिए प्रस्ताव लाने वाली राजमाता विजयाराजे सिंधिया हों या बेबाक भाषणों के लिए मशहूर फायरब्रांड साध्वी उमा भारती और ऋतंभरा...। ओज जगाने से लेकर छह दिसंबर में विवादित स्थल तक, उमा और ऋतंभरा ने कदम-कदम जोड़कर आंदोलन को शिखर तक पहुंचा दिया।

राजमाता की पहल ने डाली नींव

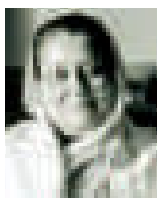

मंदिर आंदोलन की अगुआई भले ही विश्व हिंदू परिषद कर रही थी, लेकिन भाजपा की संस्थापक सदस्य रहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया ने ही पहली बार राष्ट्रीय कार्यपरिषद में मंदिर का प्रस्ताव पेश करने की हिम्मत दिखाई। राजमाता के साहस के बाद ही कभी परोक्ष तो कभी अपरोक्ष रूप से भाजपा ने आंदोलन का हाथ थामा। लालकृष्ण आडवाणी 1989 में जब रथयात्रा लेकर लेकर निकले तो उसकी सारथी राजमाता भी बनीं। इतना ही नहीं, छह दिसंबर 1992 की कारसेवा में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। कट्टर नेता की तरह आंदोलन का नेतृत्व किया। इस कारण अन्य नेताओं की तरह उन्हें भी मामले का आरोपित बनाया गया। यही नहीं, मंदिर आंदोलन के केंद्र में रहीं साध्वी उमा भारती के उत्थान के पीछे भी राजमाता का ही हाथ था।

सियासत का सितारा बनीं उमा

राजमाता की अंगुली पकड़कर उमा भारती मंदिर आंदोलन की अगुआ जैसी बन गईं। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन में पूरे देश में भ्रमण कर सभाएं कीं और जगाने वाले भाषण दिए। छह दिसंबर 92 को मुख्य मंच पर प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल रहीं उमा भारती का भाषण इतिहास बन चुका है। इसके चलते उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा। जांच के लिए गठित क्राइम इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीआइडी) के अधिकारी गंगाप्रसाद तिवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उन्हें रामकथा कुंज में बने सभामंच से ऐसे उत्तेजक भाषण का दोषी माना, जिसने ढांचा ध्वस्त कराने में अहम भूमिका निभाई।

ऋतंभरा : सेवा से आंदोलन तक

यूं तो अनाथ बालिकाओं के लिए वात्सल्य ग्राम जैसा प्रकल्प संचालित करने के कारण साध्वी ऋतंभरा सामाजिक कार्यों के लिए पहचानी जाती हैं, लेकिन मंदिर आंदोलन में वे सबसे चमकदार किरदारों में एक थीं। उनके भाषणों के ऑडियो कैसेट ने घर-घर आंदोलन पहुंचाया। लिब्रहान आयोग ने उन्हें भी इस मामले का प्रमुख अभियुक्त बनाया। छह दिसंबर को उनके साथ ही रामकथा कुंज के मंच पर आसीन रहे हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत मनमोहन दास बताते हैं कि आंदोलन में साध्वी ऋतंभरा के ही भाषण थे, जिन्होंने लोगों में चेतना जगाई।

गोपाल सिंह विशारद : विवादित भूमि पर रखी मूर्तियों को नहीं हटाने का मुकदमा किया था दायर

गोपाल सिंह विशारद

गोपाल सिंह विशारद ने विवादित मंदिर में रखी मूर्तियों को न हटाए जाने का मुकदमा दायर किया था। अदालत से मांग की थी कि राज्य और मुसलमानों को विवादित इमारत से मूर्तियों को हटाने से रोका जाय। अदालत यह भी सुनिश्चित करे कि पूजा पाठ में कोई खलल न पड़े। उन्हीं के प्रयास से 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत ने मूर्तियां नहीं हटाए जाने का आदेश दिया था। हाइकोर्ट ने भी 26 अप्रैल 1955 को इसकी पुष्टि की थी। वह अयोध्या विवाद के मूल मुकदमे के वादी थे। गोपाल सिंह विशारद वकील थे और हिंदू महासभा की फैजाबाद इकाई के सचिव थे। अयोध्या के मंदिर आंदोलन से सीधे जुड़कर उन्होंने आल इंडिया रामायण सभा भी बनाई थी। वे इसके संयुक्त सचिव थे। रामचंद्रदास परमहंस इसके महासचिव थे।

राम मंदिर ने ही पहली बार दी थी लालू प्रसाद को राष्ट्रीय पहचान

अरविंद शर्मा, पटना

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सहारे तीन दशक पहले अयोध्या की धमक बिहार भी पहुंची थी और इसने सियासी समीकरण को उलट-पुलट कर डाला था। भविष्य में कई तरह के राजनीतिक बदलाव के बीज भी तभी उग आए थे। इसी आंदोलन ने उस वक्त के छोटे कद के नेता लालू प्रसाद को अचानक ही राष्ट्रीय पहचान दिला दी थी। लालू को ललकार कर नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दे दिए थे कि उनकी सैद्धांतिक और वैचारिक प्रतिबद्धता का रथ ज्यादा दिनों तक झुरमुट में छुपा नहीं रह सकेगा। तब नरेंद्र मोदी, आडवाणी की रथयात्रा के सूत्रधार थे।

दौर 1990 का था। तारीख थी 23 अक्टूबर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संकल्प के साथ आडवाणी रथ यात्रा लेकर गुजरात के सोमनाथ से बिहार के समस्तीपुर पहुंचे थे। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। तब उनका नाम आज की तरह मशहूर नहीं था। भाजपा के समर्थन से पहली बार सत्ता में आए थे। आडवाणी के रथ को बिहार से होते हुए सात दिन बाद 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। हजारों स्वयंसेवकों को वहां आडवाणी के आने का इंतजार था। बिहार सरकार ने पहले धनबाद में ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर रखी थी, किंतु वहां के तत्कालीन डीएम ने विधि-व्यवस्था का हवाला देकर ऐसा करने से इन्कार कर दिया। आखिरकार लालू ने समस्तीपुर में रथ के पहिए को रोक दिया और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लालू के इस कदम से देश की राजनीति वैचारिक रूप से दो भागों में बंट गई। एक धारा भाजपा की थी और दूसरी उसके विरोध की। बिहार में हाशिये से निकलकर फ्रंट की राजनीति करने के लिए दो दशकों से संघर्ष कर रही भाजपा को नई ऊर्जा मिल गई थी। भाजपा विरोधी राजनीति की धुरी लालू बन गए।

1990 में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति को किया था प्रभावित

लाल प्रसाद यादव। फाइल

राजनीति में बना नया समीकरण: राम मंदिर की राजनीति के दायरे से बिहार अभी भी बाहर नहीं निकल पाया है। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद लालू की छवि भाजपा विरोधी नेता के रूप में बन गई। इसका भरपूर फायदा मिला। मुस्लिमों और वामपंथियों के चहेते बन गए। बाद में उन्होंने माय (मुस्लिम और यादव गठजोड़) फार्मूला दिया, जिसके दम पर उन्होंने अगले डेढ़ दशक तक बिहार में निष्कंटक सरकार चलाई।

कांग्रेस को भूल का खामियाजा : लालू प्रसाद को पहली बार भाजपा के सहारे ही बिहार की सत्ता नसीब हुई थी। तब कांग्रेस मजबूती के साथ विपक्ष में थी। किंतु आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने केंद्र के साथ लालू सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस ने यहीं पर चूक कर दी और उसने भाजपा की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए लालू सरकार को थाम लिया। लालू सत्ता में बरकरार रहे, लेकिन कांग्रेस के वोटर खिसकने लगे।

उच्चतम न्यायालय में लगा मजमा

सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर फैसले के दौरान उपस्थित मीडिया कर्मियों की भीड़। ध्रुव कुमार

राम के 'राजतिलक' में विपक्ष की 'अग्निपरीक्षा'

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: बेशक, उच्चतम न्यायालय का फैसला लंबे समय तक चले न्यायिक विमर्श का निचोड़ है लेकिन, फिर भी प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सत्ताधारी भाजपा के लिए राम मंदिर निर्माण का फैसला अपने एक आंदोलन के सफल होने जैसा है तो राम के 'राजतिलक' में विपक्ष के लिए हालात 'अग्निपरीक्षा' जैसे हैं। फैसले के बाद कांग्रेस और बसपा ने जहां संयम और अनुशासन की लकीर पर बढ़ना बेहतर समझा वहीं, संशय में फंसी सपा शाम तक वोटों का नफा-नुकसान तौलती रही।

सूबे के 18-19 फीसद अल्पसंख्यकों के वोट पाने की होड़ सपा, बसपा और कांग्रेस में कभी कम नहीं हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव से भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे से एकमुश्त मत यूपी में समेटे जा रही है। मगर, विपक्षी दलों की मजबूरी है कि उनका वोटों का समीकरण अल्पसंख्यकों से ही पूरा होता है। लिहाजा, इंतजार था कि यदि फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया तो विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 370 पर भटकाव से फजीहत करा चुकी कांग्रेस पहले से सतर्क थी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शनिवार सुबह ही प्रदेश मुख्यालय में आ जमे। कांग्रेस कार्यसमिति की दिल्ली में हुई बैठक का इंतजार किया गया।